

OFFICE ORDER

Sub. : Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades.

In pursuance of Corporation Board's Resolution No. 14/92 Dated 28.1.92 and the approval conveyed by the B.P.E. (State Govt.) vide its letter No. F. 2(1)BPE/92-1329 Dated 26.4.93 the Corporation is pleased to grant Selection Grades to its employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Service and those holding isolated posts. As a result of issuance of this order, the orders/amendments issued in the past for selection scales shall stand superseded.

1. This order shall be applicable to all Corporation employees in Class IV, Ministerial and subordinate services and those holding isolated posts and drawing pay in Revised Pay Scales, 1989 the maximum of which does not exceed Rs. 1302/-.

2. (i) The first selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of nine years, provided that the employee has not got one promotion earlier as is available in his existing cadre.

(ii) The second selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of eighteen years, provided that the employee has not got two promotions earlier as might be available in his existing cadre

(iii) The third Selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of twenty seven years, provided that the employee has not got three promotions earlier as might be available in his existing cadre.

3. The service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted from the date of first appointment in the existing cadre/service in accordance with the provisions contained in the Recruitment Regulations.

Provided that, if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, as a result of direct recruitment, is appointed to some other post in the same cadre or any other cadre, service from the date of later appointment shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.

Provided further, that if an employee succeeds in his first appointment to a post in a cadre/service, in accordance with provisions contained in the relevant service regulations promoted to a post in some other cadre, service and the date of such promotion shall be taken into consideration for the purpose of grant of the Selection Grades.

Provided further, that in the case of an employee who is declared surplus and absorbed against a new post in a service of nine, eighteen or twenty seven years, where case may be, shall be deemed to have been completed on the date on which his immediately junior employee completed that period of service or on completion of service from the date of appointment to the post held before absorption whichever is later.

4. (i) The first selection grade, wherever admissible in terms of this order shall be the pay scale of the next promotion post in the same service/cadre i.e. Class-IV/ Ministerial/Subordinate Service provided that in case there is no next promotion post in the same service/ Cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the first selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale as specified in paragraph-5.

(ii) The second Selection Grade, where admissible, in terms of this order shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-6000 (16) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (Pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph-5.

(iii) The third Selection Grade, wherever admissible in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre, provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no third promotion post in the same service/cadre

or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (Pay scale of the post held or the selection grade) as specified in paragraph-5.

5. The first, second and third selection grade shall strictly be granted as indicated in enclosed Appendix 'A' on completion of 9, 18, 27 years of service, as the case may be.

NOTE: If an incumbent of the isolated post or a person not possessing academic qualifications prescribed for promotion has been granted Selection Grade before issue of this order and such Selection Grade is higher than that indicated in this appendix, he will continue to draw pay in such Selection Grade as personal to him but the second or third selection Grades shall be determined with reference to the first or second selection grade which would have been admissible in terms of this Appendix.

6. The appointing authority for the post held by employee shall be competent to grant Selection Grade. In respect of categories of posts where seniority is maintained by an authority senior to the appointing authority, such senior authority shall be competent to grant selection grade.
7. Selection grades in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the purpose of grant of the Selection grade.
8. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if an employee foregoes promotion on issue of order to this effect, he shall not be granted second or third Selection Grade under this order.
9. Grant of Selection Grade shall not affect the seniority in the cadre nor the sanctioned strength of each category of posts in the cadre.
10. If an eligible employee becomes entitled to second or third Selection Grade straightway in terms of this order, his pay would be fixed directly in the second or third Selection Grade, as the case may be with reference to pay being drawn immediately before grant of the second or third selection Grade.

or third Selection Grade, as the case may be, his existing pay in the selection Grade shall be fixed at the stage next above the pay actually received to by increasing the pay being drawn by him in the existing pay scale (Pay scale of the post held or the Selection Grade) by his increment. If selection grade is granted to an employee with effect from the date on which he earns increments, pay in the selection Grade will be fixed with reference to the pay admissible in the existing pay scale including the increment.

12. The pay of the employees already granted Selection Grade before issue of this order shall be re-fixed at the next above stage in the Selection Grade admissible in terms of this order. Pay in the second or third Selection Grade admissible in terms of this order shall be fixed thereafter.
13. In case of an employee who gets his regular promotion after getting the Selection Grade (identical to or lower than the pay scale of the promotion post), his pay shall be fixed in the pay scale of the promotion post at the equal stage. If there is no equal stage in the pay scale of the promotion post, pay shall be fixed at the next higher stage. In cases where the Selection Grade (second or third) already granted to an employee is higher than the pay scale of the promotion post, the employee shall continue to draw pay in the Selection Grade and his pay shall not be fixed in the pay scale of the promotion post.
14. The next increment in the Selection Grade shall be granted to an employee on the date he would have drawn his increment had he not been granted the Selection Grade, provided that where the pay is fixed at the minimum of the Selection Grade and the pay so fixed is more than the pay drawn in the existing pay scale by an amount equal to the amount of the next increment in the existing pay scale plus the amount of first increment in the Selection Grade, the next increment shall be admissible after completion of service for the full incremental period of one year.
15. The performas (B & C) in which sanction of selection grade shall be issued and fixation done are enclosed herewith for ready reference.

This order shall come into force with effect 25.1.92.

Encl. as above -Three
1. Scale of Rs. 775-1025)
2. Appendix 'A'
3. Performas 'B' & 'C'

U. S. Singh
MANAGING DIRECTOR

No.F.2(72)Accts/Rules/93/ 2971

Date: 27.4.93

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Heads of Department, RSRTC, Jaipur
2. All Executive Managers, RSRTC, _____
3. All Chief Manager, RSRTC, _____
4. All Manager (Op.)/(A/cs)/(Tr.), RSRTC, _____
5. Resident Audit Officer, RSRTC, Jaipur.

Copy for:- 1) G.F.

Amjad P
P.A. & Chief Accounts Officer.
27.4.93

No.F.2(72)Accts/Rules/93/ 2971

Dated : 27.4.93

Copy is also forwarded to the following for information :-

1. The Dy. Secretary to the Govt., Transport Department Secretariate; Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. The Dy. Secretary to the Govt., State Enterprises Department (B.P.E.), Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Amjad P
P.A. & Chief Accounts Officer.
27.4.93

Pures

ag

Statement of Prescription of Grading Scale for the posts under the B.P.S. on completion of 5, 10 & 15 years of service.

S.No.	Name of the Post.	Pay Scale	5	10	15
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Peon, Chowkidar, Orderly Gardener, Sweeper.	750-940	775-1025 (Table is enclosed)	800-1250	875-1350
2.	Artisan Gr. III (Non-ITI) (For-ITI)	800-1250 910-1520	825-1350 950-1680	950-1680 1025-1800	1200-2050 1400-2600
3.	Lower Division Clerk.	950-1680	1200-2050	1400-2600	1640-2900
4.	Telephone/Teleprinter Operator.	950-1680	1200-2050	1400-2600	1640-2900
5.	Cam under.	950-1680	1200-2050	1400-2600	1640-2900
6.	Working Clerk/Conductor/Adda Conductor.	950-1680	1200-2050	1400-2600	1640-2900
7.	Mistry (Civil).	910-1520	975-1720	1200-2050	1400-2600
8.	Chargeman.	1025-1800	1400-2600	1640-2900	2000-3200
9.	Store-Sub-Inspector.	1200-2050	1400-2600	1640-2900	2000-3200
10.	Computer.	1200-2050	1400-2600	1640-2900	2000-3200
11.	Draftsman.	1200-2050	1400-2600	1640-2900	2000-3200
	Stenographer.	1400-2300	1640-2900	2000-3200	2400-3500
	Accountant.	1400-2300	1640-2900	2000-3200	2400-3500
	Asst. Assistant.	1400-2300	1640-2900	2000-3200	2400-3500
15.	Asst. Labour Welfare Officer.	1640-2900	2000-3200	2400-3500	2800-4000
16.	Artisan Gr. I.	1025-1800	1400-2600	1640-2900	2000-3200
17.	A.T.I.	1200-2050	1400-2600	1640-2900	2000-3200
18.	Overseer/JEN (Civil)	1400-2300	2000-3200	2400-3500	2800-4000

Signature
24/11/23

Table 1A

77

Pay scale No. 1A - 775-12-839-14-905-15-1025

Stage in existing pay scale.	Fixation benefit.	Pre-fixation emoluments as per reg.5(4)	Stage at which pay is to be fixed in the pay scale.
710	50	760	775
720	50	770	775
730	50	780	787
740	50	790	799
750	50	800	811
760	50	810	811
770	50	820	823
780	50	830	835
790	50	840	849
800	50	850	863
810	50	860	863
820	50	870	877
830	50	880	891
840	50.40	890.40	891
850	51.00	901.00	905
855	51.90	915.90	920
860	52.80	932.80	935
870	53.70	948.70	950
	54.60	964.60	965
			980
			995
			1010
			1025

8
8

OFFICE ORDER.

Subject: Prescription of selection grades for Drivers.

In pursuance of Corporation Board's resolution No. 57/93 dated 10.5.93, it has been decided that drivers may also be given the benefit of higher pay scale on completion of 9, 18 and 27 years of services. The third pay scale to be given on completion of 27 years of service is not specifically available for the category of drivers as yet. Therefore, the third scale would be allowed after approval from the State Govt.

Accordingly selection scales may be granted to drivers on completion of 9 and 18 years of service as per appendix 'B' indicated below on the terms and conditions as laid down in office order No. F.2(72-A)Accts/Rules/93/3630 dt. 27.4.93

Appendix 'B'

Sl. No.	Name of the post.	Pay scale.	Selection scale.	
			I	II
1.	Driver	950-1380	1000-1500	1200-2000

[Signature]
Managing Director.

No. F.2(72A)Accts/Rules/93/3630

Dated: 25.5.1997

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1. All Heads of Departments, RSTC, Jaipur.
- 2. All Chief Production Managers, RSTC.
- 3. All Executive Managers, RSTC, Jaipur.
- 4. Resident Audit Officer, RSTC, Jaipur.
- 5. All Chief Managers, RSTC.
- 6. All Managers, (A/O, I/O, J/O, R/O), RSTC.
- 7. P.S. to Chairman J.O., RSTC, Jaipur.
- 8. For record file.

[Signature]
Chief Accounts Officer.

9/c *[Signature]*

25
9

9

Chief Heads of Departments/
Chief Production Managers/
Executive Managers/
Chief Managers/
Accounts Officers/A.A.O.'s/
Managers (A/c),
HS-ITC.

Subj: Regarding clarification on Pay Scales
clauses under the Settlement.

As per the settlement arrived at between AITJC Union and the RSRTC on 20.11.90, certain payscales of the technical cadres (Artisans) were agreed to be enhanced w.e.f. 1.1.91 without any payment of arrears and accordingly, orders for revision of pay scales were issued vide No.P.2(73)Accts./Lias/91/0124 dated 26.11.91.

In this connection, some doubts/questions have been raised by the unit offices as well as Union Representatives regarding exercising of options, computation of service rendered on the post other than Artisans Gr.III and Providing the scale of 910-1250 to the Vulcanizers etc.

The matter was referred to the Finance Department (Rules) in the State Govt. for seeking clarification on the points of doubts and questions. The State Government has examined the questions and sent clarification vide their letter No.P.20(137)FD(Gr.2)99-Pt.II dated 21.9.93 which are as under :-

- 1) Pay Scale of the post of Artisan Gr.III was subsequently revised from 1.9.1988. Hence, existing Artisan Gr.III can exercise revised option. An existing Artisan Gr.III who earlier opted revised pay scale from 1.9.1988, if now opts revised pay scale of 910-1250 (available to him) from a date subsequent to 1.9.1988, he cannot avail it by him till the date of revised option on account of his fixation under revised pay scale of 910-1250 shall be recoverable from him.
- ✓ 11) Service rendered on the post other than Artisan Grade III can not be taken into account for computing 10 years service for the purpose of allowing pay scale of 910-1250 to Artisan Grade III not possessing I.T.I. certificate.

Contd...2.



151) Vulcanizers (Artisan Gr. III) who do not possess I.F.I. certificate or have not completed 10 years service on the post of Artisan Gr. III can not be allowed pay scale of 910-1520.

It is enjoined upon all the Accounts Officers, Asstt. Accounts Officers and Managers (Accounts) working in the unit offices to ensure that the matters of revision of pay scale under the orders dt. 20.11.91 are finalised accordingly and compliance reported to the undersigned.

This may please be acknowledged and treated as MOST URGENT

[Signature]
Managing Director.

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

कार्य-आदेश

11

इस कार्य-आदेश के आदेश क्रमांक 27.04.93-सं/विद्युत/निगम/93/2971

दिनांक 27.04.93 द्वारा अधिनियमित वेतनमान सम्बन्धी आदेशों में यह उल्लेख किया गया था कि संतोषजनक सेवाशिली होने पर ही कार्यकारी को अधिनियमित वेतनमान स्वीकृत किया जावे। इस हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन का अध्ययन किया जाता है परन्तु कतिपय मामलों में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिनियमित वेतनमान स्वीकृति का प्रकरण अनावश्यक रूप से लम्बित हो जाता है।

अतः ऐसी स्थिति को टालने के उद्देश्य से पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 27.4.93 में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि यदि कार्यकारी का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो सके तो अधिनियमित वेतनमान के प्रकरण का निस्तारण करने के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जायेगी और अधिनियमित वेतनमान स्वीकृत का किया जावे:-

1. कार्यकारी के निरूद्ध कोई विधानाधिक अथवा कोजवादी जॉन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
2. कार्यकारी को पिछले वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मिलती रही हों एवं निरन्तर अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण यह दिया हुआ हो।

Signature
 विनियम सहायक एवं 2011
 मुख्य वैचारिकारी

क्रमांक: 27.04.93-सं/विद्युत/निगम/94/ 4029 दिनांक: 23.6.1994

प्रतिनिधि:- निम्न की सूचनार्थ एवं आचार्यक कार्यकारी हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रा. रा. प. व. निगम, जयपुर।
2. समस्त कार्यकारी प्रबंधक, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबंधक/अधिकारी, के.एम.एस.पुर/उज्जौर/जोधपुर।
4. मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक/सहायक, रा. रा. व. व. निगम-_____।
5. स्थानीय सेवा मरीज अधिकारी, रा. प. निगम, मुख्यालय, जयपुर।
6. वैचारिकारी/सहायक वैचारिकारी (अजट/उत्पादन), मुख्यालय, जयपुर।
7. मुख्य सचिव अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशालय, रा. प. निगम, जयपुर।
8. आदेश/संज्ञा प्रसारणी।

Signature
 विनियम सहायक एवं 2011
 मुख्य वैचारिकारी

12
214
13
11
दिनांक :- 27.6.94

राजस्थान राज्य ग्रथ परिचयन निगम, जयपुर ।
क्रमांक :- एए2/72/सेवा/नियम/94/4193

काराणिक-आदेश :-

अधिकांश एवं काराणिक के आरोप क्रमांक एए2/72/सेवा/नियम/94/ 2976 दिनांक 27-6-94 माया कर्मचारी देवमाना गणेश्वरी देवी हेतु सेवा अवधि की समाप्ति करते समय अकेलिक अवकाश की अवधि दिल्ली काराणिक सेवा कृति पर अवर डाना गया है तथा अनुपास्थित काल की अवधि को सम्मिलित नहीं करने कायत स्पष्ट रूप से व्याख्या की हुई है तथापि यह तद्विषय प्रकृत गणना के लिए व्याख्यात्मक निर्णय पर अकेलिक काल की अवधि को सम्मिलित कालमान देने के लिये सेवा अवधि में जोड़ा जाये ।

अतः तद्विषय के विचारणा हेतु एए2 द्वारा यह स्पष्ट किया जाता हैकि यदि कोई कर्मचारी व्याख्यात्मक निर्णय से वापस काम सेवा में आया है किन्तु उसे सेवाकाल अवधि का काल भुगतान नहीं हुआ है, तो उन अवधि की अकेलिक अवकाश मानकर कर्मचारी देवमाना हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाकेगा ।

वित्तिय सहायकार, एवं मुख्यसेवाधिकारी

क्रमांक :- एए2/72/सेवा/नियम /94/ 4193 दिनांक :- 27.6.94

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आध्यक्ष कारकाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान परिचयन निगम, जयपुर ।
- 2. समस्त मुख्य सहायक प्रबन्धक, केन्द्रीय कारकाहा, सारापधिनियम, -----।
- 3. समस्त कारकाहारी प्रबन्धक :- सारापधिनियम, मुख्यालय, जयपुर ।
- 4. स्थानीय सेवा परीक्षा अधिकारी, सारापधिनियम, मुख्यालय जयपुर ।
- 5. समस्त मुख्य प्रबन्धक, सारापधिनियम, -----।
- 6. निजी अधिव्य अवकाश / प्रबन्ध विदेशक, सारापधिनियम, मुख्यालय जयपुर ।
- 7. अध्यापक सेवाधिकारी (प्रधान) सारापधिनियम, मुख्यालय जयपुर ।
- 8. आदेश / तीक्ष्ण पत्राचारी ।

वित्तिय सहायकार, एवं मुख्यसेवाधिकारी

No. F.2(72-A)/Acctts/Rules/94/3524

Dated: 30.3.1994

OFFICE ORDER

Sub: Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in selection grades.

As per the Corporation Board's resolution No. 26/94 dated 23.3.94, the existing para No. 10 of this office order No. F.2(72-A)/Acctts/Rules/90/107 dated 27.4.93 is substituted by the following, namely:-

- (a) If an eligible employee becomes entitled to second selection grade straightway in terms of this order, his pay would first be fixed in the first selection grade with reference to pay being drawn immediately before grant of second selection grade and thereafter on the same date his pay would be re-fixed in second selection grade with reference to the pay fixed in the first selection grade or arrived at in terms of provisions of para 12 of aforesaid order in respect of first selection grade, as the case may be.
- (b) If an eligible employee becomes entitled to third selection grade straightway in terms of this order, his pay would first be fixed as per clause (a) of this para and thereafter on the same date his pay would be re-fixed in third selection grade with reference to the pay fixed in the second selection grade.

The order shall be deemed to have come into force with effect from 25.1.1992.


Financial Advisor & C.A.O.

No. F.2(72-A)/Acctts/Rules/94/3524 Dated:- 30.3.1994

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Heads of Department, M.P.C, Jaipur.
1. All Chief Production Managers, M.P.C,
3. All Executive Manager/Assistant Audit Officer, M.P.C,
4. All Chief Managers, RSRTC,
5. All Managers(A/c) (Tr.) (Op), RSRTC,
6. P.S. to Chairman/M.D., M.P.C, Jaipur.
7. Order / Guard file.


Financial Advisor & C.A.O.

परिचय

व्यक्ति विभाग, जयपुर
मुख्य उपसहायक प्रबन्धक /
आयुक्तकारी प्रबन्धक /
मध्य प्रबन्धक /
निजी सचिव, अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान परिवहन निगम,

विषय:- मीन.आई.टी.आई. आर्टिजल ग्रेड-111 को देय
चयनित वेतनमान के स्वीकारणा बाबत ।

कई आगार कार्यालयों से यह खबर प्राप्त हो रही है, कि मीन.आई.टी.आई.
आई.आर्टिजल ग्रेड-111 को चयनित वेतनमान के तहत में कोन का वेतनमान दिया जावे।

उक्त मामलों का परीक्षण करने के उपरान्त सन्देह के निवारण हेतु

सर्व प्रथम निर्धारित किया जाता है कि मीन.आई.टी.आई.आर्टिजल ग्रेड-111 को
चयनित वेतनमान के तहत में निम्न प्रकार से चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जावेगे -

- 1- ऐसे मीन.आई.टी.आई.आर्टिजल ग्रेड-111 जिन्होंने 25.1.92 अथवा
इससे पूर्व 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 910-1520 का वेतनमान
दे दिया गया है, उन्हें आदेश क्रमांक 2971 दिनांक 27.4.93 के
अनुच्छेदक '2' 910-1520 के आगे स्थानित किये चयनित वेतनमान
देय होंगे ।
- 2- ऐसे मीन.आई.टी.आई.आर्टिजल ग्रेड-111 जिन्होंने 25.1.92
अथवा इससे बाद तक भी 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण नहीं किया है
तथा जो 800-1250 का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 25.1.92
अथवा इससे बाद 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर 825-1350
का चयनित वेतनमान दिया जावेगा परन्तु इसके पश्चात स्वीकृति
इसके द्वारा 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया जावेगा, इन्हें
130-1680 की वेतन श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावे एवं
वेतन निर्धारण पर किसी भी प्रकार का अन्य लाभ न देते हूये
वेतन निर्धारण किया जावे । साथ ही 18 वर्ष के सेवाकाल पर
1025-1800 तथा 27 वर्ष के सेवाकाल पर 1400-2600 के चयनित
वेतनमान का लाभ उसी प्रकार मिल सके जैसे कि आई.टी.आई.
अथवा 25.1.92 या इससे पूर्व 10 वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर
मीन.आई.टी.आई.आर्टिजल ग्रेड-111 को मिल रहा है ।

मि. अ. अ. अ.
व्यक्ति विभाग, जयपुर एवं मुख्याधिकारी

Sub: Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades.

In continuation to this office order No. F.2(72-A)Accts/Rules/93/2971 Dated 27.4.93 amended from time to time, the following posts are further inserted in Appendix- 'A' :-

S.No.	Name of post	Pay Scale	Selection Scale		
			I	II	III
1.	Peon	750-940	775-1025	800-1250	825-1350
2.	Security Guard	825-1350	950-1600	1200-2000	1400-2600
3.	Surveyor (Civil)	1025-1800	1400-2600	1540-2900	2000-3200
	Artisan Gr. II	950-1500	1025-1800	1400-2600	1540-2900
	Traffic Inspector	1400-2600	1640-2900	2000-3200	2140-3500
4.	J. E. N. Gr. B	1400-2600	1640-2900	2000-3200	2140-3500
5.	J. E. N. Gr. A	2000-3200	2140-3500	2500-4000	-
6.	Drivers	950-1500	1175-1800	1400-2600	1640-2900

The grant of selection scale would be subject to the following terms and conditions :-

- a) The Selection Scales are applicable only for the posts which are filled in by direct recruitment as per service regulations of the Corporation. In case of posts which are also filled in by promotion, the promotees on the posts would be entitled for selection scales prescribed for the posts to which they were initially recruited.
- b) The terms and conditions for grant of selection scales as stipulated in this office order No. F.2(72-A)Accts/Rules/93/2971 Dated 27.4.93 amended from time to time would apply.

This bears approval of the D.P.C. vide their letter No. F.2 (34)MSE/90/MS/IC/1447 Dated 20.4.1995.

[Signature]
MANAGING DIRECTOR

No. P.2(72-A) Accts/Mules/95/ DC12

Dated: 4.5.1972

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

- 1. Heads of Department, NSIC, Jaipur.
- 2. All Chief Production Manager, NSIC.
- 3. All Executive Managers, NSIC.
- 4. All Chief Manager, NSIC.
- 5. All Manager (OG) (A/c) (Pr), NSIC.
- 6. Resident Audit Officer, NSIC, Jaipur.
- 7. P.S. to Chairman, M.D., NSIC, Jaipur.
- 8. Order/Guard file.

Financial Advisor & C.A.O.

[Signature]

1001-101	1001-102	1001-103
1001-104	1001-105	1001-106
1001-107	1001-108	1001-109
1001-110	1001-111	1001-112
1001-113	1001-114	1001-115
1001-116	1001-117	1001-118
1001-119	1001-120	1001-121
1001-122	1001-123	1001-124
1001-125	1001-126	1001-127
1001-128	1001-129	1001-130

It is requested that the above mentioned copy may be forwarded to the respective authorities for their necessary action.

Yours faithfully,
[Signature]

15

RECEIVED, 25/09/1995, 10:15 AM, RAJOURI, JAIPORE.

No. F.2(72-A)-Ceccts/Rules/95/6655

Dated: 10.9.1995

Handwritten notes: 18, 29, 15, and a circled number 17.

MEMORANDUM

Subject: Prescription of Selection Grades for the employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades.

In pursuance of the Corporation Board's resolution No. 36/95 dated 5.9.1995, the existing para 11 of the order No. F.2(72-A)-Ceccts/Rules/93/1971 dated 27.4.93 is hereby substituted by the following :-

- 11. The pay of the employees already granted Selection Grade before issue of this order shall be re-fixed at the next above stage in the selection grade admissible in terms of this order provided that in cases, where pay in the selection grade was fixed at the minimum, and the pay so fixed is equal or more than the pay given in the ordinary pay scale by an amount of next increment in the ordinary pay scale plus first increment of the selection grade, the provision of fixation of pay at the next above stage in the selection grade in terms of this order shall not be applicable. Pay in the second or third selection grade admissible in terms of this order shall be fixed thereafter."

The order shall be deemed to have come into force with effect from 25.1.1993.

Financial Advisor & Chief Accounts Officer

No. F.2(72-A)-Ceccts/Rules/95/6655

Dated: 10.9.1995

Copy forwarded to the following for information and necessary action :-

- 1. All Heads of Departments, RSTC, Jaipur.
- 2. All Executive Managers, RSTC, Jaipur.
- 3. All Chief production Managers, RSTC, Jaipur.
- 4. All Chief Managers/Managers(A/c), RSTC, _____
- 5. P. S. to Chairman/H. Q., RSTC, Jaipur.
- 6. Order Guard file.

Financial Advisor & Chief Accounts Officer.

18

क्रमांक: एफ 2 (72 ए) सी/आर/सी/आ/96/6997

दिनांक: 26.9.96

कार्यालय-आदेश

घातित धेतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा अवधि की गणना के अन्वय में राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक: एफ 2 (72 ए) सी/आर/सी/आ/96/6997 दिनांक 3-4-93 द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के अन्वय में पूर्व प्रसारित क्रास आदेशों को निरस्त करते हुए निम्न शर्तार्यों को घातित धेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा अवधि की गणना में निम्न प्रकार करने हेतु आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. निम्न की नियमित सेवा में रहते हुए घातित धेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ शर्तार्यों के अन्वय में दिनांक से निम्न सेवा के किसी संघर्ष विवेक में नियमित रूप से नियुक्त हुआ है उसी दिनांक से उसी सेवा अवधि की गणना सेवा नियमों के अन्वय में की जायेगी।
2. ऐसी सेवा अवधि को निम्न शर्तार्यों द्वारा किसी अन्य सेवा अथवा सेवा संघर्ष में स्थानान्तरण से नियमित नियुक्ति से पूर्व माना जायेगा। उक्त अवधि की गणना घातित धेतनमान की स्वीकृति हेतु मान्य नहीं होगी।
3. ऐसी नियमित सेवा अवधि जिसके लिए तत्काल अधिकारी द्वारा अधिमूर्त अग्रगण्य स्वीकृत किये जाते हैं उक्त घातित धेतनमान स्वीकृति हेतु नियमित सेवा अवधि की गणना के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जायेगा।
4. अन्य किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को अग्रगण्य जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रगण्य स्वीकृत नहीं किया गया है तथा सेवा में कार्यरत माना गया है उसे घातित धेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. नित्यकम जग को तत्काल अधिकारी द्वारा अधिमूर्त सेवा के रूप में माना जाने पर ही ऐसी अवधि को घातित धेतनमान स्वीकृत करने हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित किया जायेगा अन्यथा नहीं।
6. चायारथ नियम के अन्वय में सेवापूर्व जग की अवधि को गिनकर सेवा नहीं मानते हुए घातित धेतनमान हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
7. ऐसी कर्मचारी सेवा अवधि जिसके किसी शर्तार्यों ने निम्न सेवा में रहते हुए निम्न में अन्यत्र नहीं कार्यरत किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त किया है तो उक्त अवधि को घातित धेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रसारित किये जा रहे हैं।

26.9.96

आर.के.शर्मा

अधिसूचना सहायक

दिनांक: 26.9.96

क्रमांक: एफ 2 (72 ए) सी/आर/सी/आ/96/6997

प्रतिलिपि निम्न को प्रसारित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सहायक निदेशाध्यक्ष, रा.प.वि, जयपुर।
2. सहायक निदेशाध्यक्ष, रा.प.वि, जयपुर।
3. सहायक निदेशाध्यक्ष/निदेशाध्यक्ष, रा.प.वि, _____
4. सहायक निदेशाध्यक्ष/निदेशाध्यक्ष, रा.प.वि, _____
5. सहायक निदेशाध्यक्ष/निदेशाध्यक्ष, रा.प.वि, _____
6. आवश्यक आदेश पदावली।

रा.प.वि. जयपुर
सेवा अधिकारी (निम्न)

19

12
24
19
9.5.97

राज्य मान्य राज्य एवं परिवहन विभाग, राजधानी, न. नर

क्रमांक-142/72ए/विभा/विभा/96/6997 1-800

दिनांक- 9.5.97

कार्य: आदेश

श्री. कार्यालय के आदेश क्रमांक 142/72ए/विभा/विभा/96/6997 दिनांक 26/9/96 द्वारा अधिसूचना में वर्णित विभागों की प्रतियोगिताओं के प्रयोगकर्ताओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी।

इस विभाग में अधिसूचना क्रमांक 142/72ए/विभा/विभा/96/6997 द्वारा प्रकाशित की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विभागों के प्रयोगकर्ताओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी।

इस प्रकार प्रकाशित अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विभागों के प्रयोगकर्ताओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी होंगी।

Amended
on 14.9.97
9.5.97

क्रमांक 9.5.97
दिनांक 9.5.97

निदेशिका क्रमांक

क्रमांक-142/72ए/विभा/विभा/97/ 4800

दिनांक- 9.5.97

प्रतिनिधि:- निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- राज्या विभाग, राजधानी, न. नर
- 2- राज्या कार्यालयी प्रकाशिका & राजधानी विभाग, न. नर
- 3- राज्या मन्त्रालय/विभाग प्रकाशिका राजधानी विभाग, न. नर
- 4- राज्या प्रकाशिका/प्रकाशिका/प्रकाशिका/प्रकाशिका राजधानी विभाग, न. नर
- 5- राज्या प्रकाशिका/प्रकाशिका/प्रकाशिका, राजधानी विभाग, न. नर
- 6- राज्या प्रकाशिका/आदेश कार्यालयी

राज्य मान्य राज्य एवं परिवहन विभाग, राजधानी, न. नर

20
18
28/9

क्रमांक- 26/9/98/ 183 एवं सेवा/नियम/98/ 183

दिनांक:- 0.1.98

परिपत्र

इस आदेश के आदेश संख्या एक 26/9/98/सेवा/नियम/98/183
दिनांक 26/9/98 के दिनांक संख्या 3 में यह स्पष्ट किया गया था कि घनित
पत्र के प्रयोजनार्थ सेवा अधि को रचना हेतु ऐसी नियमित सेवा अधि जिसे
सम अधिकारी द्वारा अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये गये हैं उसे घनित वेतनमान
स्वीकृति हेतु नियमित सेवा अधि को रचना के प्रयोजनार्थ सम्भारित किया जाये।

प्रायः यह देखने में आता है कि कुछ इकाईयों द्वारा तो कर्मचारियों
को घनित वेतनमान का लाभ उचित परिधि आदेश के अन्तर्गत ही दिया जा रहा है
जबकि कुछ इकाईयों द्वारा यह लाभ अवैतनिक अवकाश के दिवसों के परास्पर दिनों
को आगे चिह्नित कर दिया जा रहा है तथा कुछ इकाईयों द्वारा उक्त परिधि आदेश
के अन्तर्गत घनित वेतनमान का लाभ तो दिया जा रहा है, परन्तु कर्मचारियों को
सजाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

आतः समस्त इकाई प्रभारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है
सम अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने
स्थिति में ऐसी समस्त अधि को बिना किसी निर्धारित सीमा के उक्त परिधि
कार्यालय आदेश के अन्तर्गत में घनित वेतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा अधि को
हेतु नियमित सेवा अधि में सम्भारित किया जायेगा 4 तथा कर्मचारी को सजाया
लाभ देय होगा।

28/9/98
पी० आर० शर्मा
जिल्ला/ जयपुर
98.

क्रमांक- एक 26/9/98/सेवा/नियम/98/ 183

दिनांक:-

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आभासक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- समस्त विभागाध्यक्ष, रा0रा0प0व0 विभाग, मुख्यालय, जयपुर
- 2- समस्त उप-महा प्रबंधक 1 कार्यकारी प्रबंधक, रापनि, मुख्य
- 3- समस्त मुख्य उत्पादन प्रबंधक/सेवा अधिकारी रापनि
- 4- समस्त मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (सेवा) प्रशासक रापनि
- 5- एक सेवा अधिकारी भुगतान/अजय रापनि, मुख्यालय जयपुर
- 6- निमित्त आदेश पत्रावली

उप महा प्रबंधक जयपुर

21

~~20/2/98~~
19

**RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT
CORPORATION, JAIPUR**
Finance (Rules) Department

No. Accounts Rules 724/98 3520

Dated: 7.5.98

Subject: Prescription of selection grades for employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades consequent upon revision of pay scales of Corporation employees from 1.9.1998

In a view to providing relief to the employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate services and those holding isolated posts, three selection grades on completion of service nine, eighteen and twenty seven years were prescribed vide this office Order No. (Acctt./Rules/93/2971) Dated 27.4.93. This order was amended from time to time. Consequently upon revision of pay scale of the Corporation employees from 1.9.1998 under Revised Pay Scales Regulations, 1998, the matter has been considered and in supersession of all orders issued in this regard in the past, the Corporation employees of the categories mentioned hereunder and who are drawing pay in the pay scale prescribed under the Revised Pay Scales Regulations, 1998 may be granted Selection Grades as indicated below:-

1. This order shall be applicable to all Corporation employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and drawing pay in Revised Pay Scales, 1998 the maximum of which does not exceed Rs. 10,500/-. This order shall not apply to those Corporation employees who have got selection grades equivalent to the pay scales of the lowest post of Corporation Service to which they are eligible for promotion or selection grade of 8000-13500 whichever is lower in terms of this order.
 - (i) The first selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of nine years provided that the employees has not got one promotion earlier as is availing in his existing cadre.
 - (ii) The second selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of eighteen years, provided that the employee had not got two promotions earlier as might be available in his existing cadre and the first selection grade granted to him was lower than the pay scale of the lowest post of Corporation Service to which he is eligible for promotion or selection grade of 8000-13500 whichever is lower.

21

21
30
5/20

(iii) The third selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of twenty seven years, provided that the employee has not got three promotions earlier as might be available in his existing cadre and the first or the second selection grade granted to him, as the case may be, was lower than the pay scale of the lowest post of Corporation Service to which he is eligible for promotion or selection grade of 8000-13500 whichever is lower.

3. The service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted from the date of first regular appointment in the existing cadre/service in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment regulations. The period during which a Corporation employees remained/remains on extra ordinary leave with or without medical certificate shall also be counted reckoning the periods of service for grant of selection grade. Other conditions as per order No. P2(72A)/Accts./Rules/99/8997 dated 25.9.95, order No. 4800 dated 9.5.97 and order no. 1315 dated 16.2.95 will remain unchanged.

Provided that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, as a result of direct recruitment, is appointed to some other post in the same cadre or other cadre, service from the date of later appointment shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.

Provided further that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, in accordance with provisions contained in the relevant recruitment rules is promoted to a post in some other cadre, then in such a case service from the date of promotion shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.

Provided also that in case of an employee who has been/is declared surplus and absorbed against a new post either in the same or another department excluding absorption on higher post, the service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted for the purpose of grant of selection Grade from the date of initial regular appointment in the service in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment regulations. As a result of counting of service rendered prior to absorption for grant of selection grade, if the pay of a junior Corpn. employee happens to be more than the pay of his senior, no stepping up of pay of senior Corporation employee shall be permissible.

"4"

4. (i) The first selection grade, wherever admissible in terms of this order shall be the pay scale of the next promotion post in the same service/cadre i.e. Class-IV/Ministerial/Subordinate Service, provided that in case there is no next promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the first selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held) as specified in paragraph 3.

23
2-2
21
3752

- (v) The second selection grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre provided that in case the second promotion Post available in the same Service/Cadre carries a pay scale higher than the pay scale of 8000-13500(13) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications, prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade) as specified in the paragraph 5.
- (vi) The third selection grade wherever admissible in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/ cadre, provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of 8000-13500(13) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employees does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.
5. in case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the selection grades shall be as specified below:-

S. No.	Name of the post	Pay Scale	Selection Scale		
			I	II	III
1.	Peon Chowkidar, Orally, Gardener, Sweeper, Herodian	2550-3200	2510-3240	2820-4000	2750-4400
2.	Gr. III (Non I.T.) (For I.T.)	2150-3700	2750-4400	3080-4550	4000-6000
3.	Security Guard	2150-475	3050-4550	3400-5250	5000-8000
4.	Mistry (Civil)	2650-475	3200-4900	4000-6000	5000-8000
5.	Lower Div. Clerk, Telephone/Telexprinter Operator, Typewriter, Bookbinding Clerk, Conductor, A.B.A. Conductor	3050-590	4000-6000	5000-8000	5500-9000
6.	Arasan Gr. I, Driver	3050-590	3400-5200	3300-6000	5500-9000
7.	Chairman, Arsan Gr. I, Surveyor (Civil)	3400-5200	5000-6000	5500-9000	8500-10500
8.	Stoke SUB Inspector, Computer, Draftsman, Acct. Traffic Inspector	4000-6000	5000-6000	5000-9000	8500-10500
9.	Stenographer, Jr. Accountant, Legal Assistant, Traffic Inspector, Jr. Engineer (Gr. B)	5000-9000	5500-9000	6500-10500	(*)
10.	Overseer/JEN (Civil)	5000-9000	6500-10500	(*)	(*)
11.	JEN (Gr. A)	6500-10500	(*)	(*)	-
12.	Drivers	3050-590	3400-5200	5000-8000	5500-9000

(*) Matter regarding relating Selection Grades is being sent to S.P.E. for approval.

- 24
- 21
22
6. The appointing authority for the post held by the employee shall be competent to grant Selection Grade. In respect of categories of posts where seniority is maintained by an authority senior to the appointing authority such senior authority shall be competent to grant Selection Grade.

Selection Grades in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the purpose of grant of the Selection Grade.

7. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if an employee has forgone/forfees promotion or seeks reversion, he shall not be granted second and third Selection Grade under this order. In cases where a Corporation employee who is drawing pay in second or third selection grade if on his actual promotion to second/third promotion post forgoes the promotion, the benefit of second and third selection grades, as the case may be, shall be withdrawn from the date he forgoes the promotion. The pay of such an employee shall be fixed either in pay scale of the first promotion post or in the first selection grade or in the pay scale of second promotion post. At the stage he would have drawn had he not been granted second and third selection grade(s), as the case may be.
8. Grant of Selection Grade shall not affect the seniority in the cadre nor the sanctioned strength of each category of posts in the cadre.
9. When a Corporation employee is granted first, second or third Selection Grade, as the case may be, his initial pay in the Selection Grade shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing the pay being drawn by him in the existing pay scale (pay scale of the post held or the Selection Grade) by the one increment. In cases where an employee is drawing pay at the maximum of the pay scale of the post or the selection grade his pay shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by adding an amount equivalent to the last increment. If Selection Grade is granted to an employee with effect from the date on which he earns increment, pay in the Selection Grade will be fixed with reference to the pay admissible in the existing pay scale including the increment.
10. The next increment in the Selection Grade shall be granted to an employee on the date he would have drawn his increment had he not been granted the Selection Grade, provided that where the pay is fixed at the minimum of the Selection Grade and the pay so fixed is more than the pay drawn in the existing pay scale by an amount equal to the amount of the next increment in the existing pay scale plus the amount of first increment in the Selection Grade, the next increment shall be admissible after completion of service for the full incremental period of one year.
11. In case of an employee who gets his regular promotion after getting the Selection Grade (identical to or lower than the pay scale of the promotion post), his pay shall be fixed in accordance with the provisions contained in Note 4 of Rule 25A of RSRTC employees Service Regulations.

205

214
23
57

3. In case of Corporation employees drawing pay in selection grade of pay granted under this order no. P.4(72-A)/Accts/Rules/90/2971 dated 27.4.99 and amended from time to time, the revised selection grades under Regulation 5 (ii) of Revised Pay Scales, 1998 are the corresponding pay scale as indicated in Section A of Schedule appended to Revised Pay Scales, 1998. If the existing selection grade revised as above is lower than the selection grade admissible under this order, the selection grade admissible under this order shall be applicable. In such a case pay shall be revised with effect from 1.9.1998 in the selection grade as per this order at the equal stage and if there is no equal stage than at the next above stage. In other cases where the existing selection grade revised under Rule 6(ii) of Revised Pay Scales, 1998 is higher than the selection grade admissible under this order then that selection grade shall be applicable as personal to the existing incumbent however, the next selection grade shall be admissible as per the provisions of this order.

This order shall come into force with effect from 1.9.1998. No arrear shall accrue to Corporation employee who have been granted selection grades under these orders between 1.9.1998 to 31.12.1996 (both days inclusive) for the period upto 31.12.1996.


(UMESH KUMAR)
Managing Director

No. P.4(Accts/Rules/72-A/98/3620

Dated: 7.5.98

Copy to the following for information and file :

1. The Dy. Secy. Transport Dept. Sectt. Jpr/OSD, B.P.E. Sectt., Jaipur.
2. All Head of the Department, RSRTC, Jaipur.
3. The General Manager (), RSRTC, Jaipur.
4. Dy. General Manager/Executive Manager (), RSRTC, Jaipur.
5. The Chief Disposal Manager/Chief Production Manager, Central Workshop, RSRTC.
6. The Accounts Officer, RSRTC,
7. The Chief Manager/Manager (Accts.)/(Adm.)/(Tr.)/(Op.), RSRTC,
8. The Asst. Accounts Officer (Pay.), (Budget/Fix)RSRTC, HQ, Jaipur.
9. P. S. to Chairman/Managing Director, RSRTC, Jaipur.


(P. R. SHARMA)
Financial Advisor

OFFICE ORDER

Sub:- Prescription of Selection Grades for Employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding Isolated posts and fixation of pay in Selection Grades.

In Continuation to this Office order No.P2(72-A)/ACCTS/RULES/93/2971 Dated 27.4.93, the following posts are further inserted in Appendix-"A":-

S.N.	Name of Post	PayScale	Selection Scale		
			I	II	III
1.	Labour Welfare Inspector	(RNP-989) 1400-2600 (RNP-1998) 5000-8000	1540-2900 5500-9000	2000-3200 6500-10500	2000-3500 (*)

(*) Matter regarding relating Selection Grades is being sent to RPS for approval.

The grant of Selection Scale would be subject to the following terms and conditions:-

- a) The selection scales are applicable only for the posts which are filled in, by direct recruitment as per service regulations of the Corporation. In case of posts which are also filled in by promotion, the promotees on the posts would be entitled for Selection Scales prescribed for the posts to which they were initially recruited.
- b) The terms and conditions for grant of Selection Scales as stipulated in this Office order No. P2/(72-A) ACCTS/RULES/93/2971 Dated 27.4.93, amended from time to time would be applicable. This bears approval of the B.P.E. vide their letter No. P2(34)/SP2/90/ pt.II/1055 dated 21.4.98.

(P. K. Sharma)
Financial Advisor

27

No. P2/Notte/Rules/13(72-A)/98/4290 Dated 29-5-90

Copy forwarded to the following for information and n/a:-

1. Officer on Spl. Duty, B.P.E. Govt. of Raj., Jaipur.
2. Heads of Department, RRTC, Jaipur.
3. All General Manager's, RRTC, Jaipur.
4. All Dy. General Managers/Asst. Managers, RRTC,
5. All Chief Production Manager/A.O., RRTC,
6. All Chief Manager/Manager (Notte./Sp./Tr.), R.....Depot.
7. Resident Audit Officer, RRTC, Jaipur.
8. Registrar/NAO (RRTC, Jaipur.
9. P.S. to Chairman/M.D., RRTC, Jaipur.
10. Sr. P.A. to P.A., RRTC, Jaipur.
11. Order/Guard File.

M.L. Gupta

Dy. General Manager (Finance)

14

703
562
28

राजस्थान राज्य का परिवहन विभाग, जयपुर

क्र.सं. 5/दे.सं/नियम/13/72-3/98/ 5995

दिनांक: 10.7.98.

कार्यालय-आदेश

विभाग अधीनस्थों को धार्मिक घेतनमान का ज्ञापन देने हेतु जारी आदेश क्र.सं. 5/दे.सं/नियम/13/72-3/98/ 5995 दिनांक 27.3.93 के संलग्न की गई कार्रगी से। ए के अनुसार चपरासी, घांकीदार, अर्दारी, जार्निर एवं स्वीपर पर ए प्रथम धार्मिक घेतनमान "775-12-835-14-105-15-1025" स्वीकृत किया गया था जहाँ राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 20/3/95. ति. मुप-2/ 95 दिनांक 11.8.95 के अनुसार यह घेतनमान "775-13-890-15-1005-20-1025" के रूप में संशोधित किया जा चुका था। अतः राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त संशोधित अधिसूचना के रूप में इन अधीनस्थों को देय प्रथम धार्मिक घेतनमान "775-13-890-15-1005-20-1025" प्रतिस्थापित किया जाता है। यह घेतनमान दिनांक 25.1.98 से लागू होगा।

दी. आर. शर्मा
 पी.आर.शर्मा
 निजीय सहायक

क्र.सं. 5/दे.सं/नियम/13/72-3/98/ 5995

दिनांक: 10.7.98.

निजीय निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- आर.सी. निदेशक/सुधार/वातायत/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 2- अधीनस्थ अधिकारी/निर्वाह/महा प्रबन्धक/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 3- ए.डी.ओ. प्रबन्धक/महाप्रबन्धक/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 4- ए.डी.ओ. प्रबन्धक/आर.सी. प्रबन्धक/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 5- ए.डी.ओ. प्रबन्धक/ए.डी.ओ. प्रबन्धक/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 6- मुख्यालय प्रबन्धक/प्रबन्धक/सुधार/सुधार/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 7- सहायक निजी सहायक/रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 8- निजी सहायक-अध्यक्ष/प्रबन्धक निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 9- आर.सी. निजी सहायक-निजीय सहायक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
- 10- सी.पी.ओ. पदावली।

ए.डी.ओ. प्रबन्धक
 ए.डी.ओ. प्रबन्धक/निजीय

29

57
26

(9) - ... 22, 1982

111(283)

TABLE No. 2

Original Pay Scale (No. 1) 710-10-850-10-910

Revised Pay Scale (No. 2) 775-12-825-14-905-B15-15-1025

Stage in existing pay scale	Revision benefit	Pre-fixation of emoluments as per rule 5.1(a)	Stage at which pay is to be fixed in the revised pay scale
1	2	3	4
740	50%	700	775
750	50%	720	775
760	50	740	787
770	50	760	799
780	50	780	811
790	50	800	811
800	50	820	823
810	50	840	835
820	50	860	849
830	50	880	863
840	50	900	863
850	50	920	877
860	50	940	891
870	50.40	960.40	901
880	51.60	981.60	915
890	52.80	1002.80	929
900	54.00	1024.00	945
910	54.80	1044.80	950
		1064.00	965

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, गुडवाला, जयपुर

सं. नि. गुडवाला/वार्ड/9. 8 /99/ 439


दिनांक:- 3-8-99

राजस्थान-आदेश

प्रति: सेवा देने में आया है 17 निगम कर्मचारियों के सेवाकाल में अनुपस्थिति के मामले सम्बन्धित होने पर भी उन्हें 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उपनिवेशित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है, जबकि अनुपस्थिति के कारण ही सेवा में उपस्थित माना जाता है।

इसी प्रकार हुए अनुपस्थिति के मामलों में आरोप-पत्र जारी करने हुए हैं। अतः उक्त अनुपस्थिति अवधि को वापस कार्यवाही पर्याप्त पारित निर्णयानुसार निषेधित करने के पर्याप्त ही 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।

अतः तमस्त संघीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर उपनिवेशित वेतनमान देने हेतु पहले अनुपस्थित अवधि को निषेधित किया जायें, इसके बाद ही उपनिवेशित वेतनमान देने की कार्यवाही की जायें।


प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 3-8-99

सं. नि. गुडवाला/वार्ड/9. 8 /99/ 439

राजस्थान निगम को सूचना एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- तमस्त विभागाध्यक्ष..... राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर
- 2- तमस्त महा प्रबन्धक...../संयुक्त महा प्रबन्धक..... रा. र. व. परि.
- 3- कार्यकारी प्रबन्धक..... राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर
- 4- गुडवाला प्रबन्धक/सहायक कार्यकारी, राजस्थान परिवहन निगम.....
- 5- गुडवाला प्रबन्धक/सुब-डिवीजन/गुडवाला राजस्थान परिवहन निगम.....
- 6- आदेश प्राप्त करनी ।

कार्यकारी निदेशक/गुडवाला





31

6/11/20
29

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,
JAIPUR.

(ACCOUNTS (RULES) DEPARTMENT

No. F. 4(133)/Accts./Rules/154/20/10/41

Dated 24-10-2000

OFFICE ORDER

The Corporation Board vide its resolution No. 35/2302 has been pleased to order that the personal pay granted under regulation 11 (1) (a) (iii) of the RSRTC Employees (Revised Pay Scales) Regulations, 1990 shall be treated as basic pay for the purpose of fixation of pay in the pay scale of the higher post in the regular line or the Selection Grade.

This order shall not be applicable to personal pay granted in terms of provisions of other regulations/orders. In such cases treatment to the personal pay shall be given as provided in regulation concerned of the RSRTC Employees Service Regulations, 1955.

This order shall be effective from 1.9.95. However, Cash payment shall be made from the date of issue of this order.

FINANCIAL ADVISOR.

No. F. 4(133)/Accts./Rules/154/20/10/41

Dated 24-10-2000

Copy forwarded to the following for information and n/a :-

1. The Executive Director (), RSRTC, Jaipur.
2. The General Manager()/Jt. General Manager(), RSRTC, Jpr.
3. The Dy. General Manager/Executive Manager(), RSRTC, Jpr.
4. The Secretary to the Corpn./Registrar, RSRTC, Jpr.
5. The Chief Prod. Manager/Accounts Officer, RSRTC, _____
6. P.S. to Chairman/Managing Director, RSRTC, Jaipur.
7. The Chief Manager/Manager (), RSRTC, _____
8. The Resident Audit Officer, RSRTC, Jaipur.
9. Sr. P.A. to Financial Advisor, RSRTC, HO, Jaipur.
10. The Asstt. Accounts Officer (); RSRTC, Jaipur.
11. Office/Guard file.

BY, GENERAL MANAGER
(FINANCE)

A. M. S. 24/10

32

68
30

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

संक्रमांक-रा.प.नि.३/१३३/लेखा/निगम/१६५/०१/३२६२

दिनांक:-/५-३-२००१

परिपत्र

एवं इकाई कार्यालयों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि नौन आर्डरों अर्थात् आर्डरिंग प्रो. १११ को पुनर्विहित कैलकुलेशन, १९९८ में वर्णित कैलकुलेशन के अन्तर्गत नौन सी कैलकुलेशन प्रदान की जाये।

उक्त मामले का परीक्षण करने के उपरान्त तन्हेह के निवारण के लिए आदेश निर्देशित किया जाता है कि सेत नौन आर्डर, टी. आर्डर आर्डरिंग प्रो. १११ के अन्तर्गत पुनर्विहित कैलकुलेशन १९९८ अप्रैल के बाद भी १० वर्ष का सेवाकाल पूर्ण नहीं किया है तथा जो २६५०-६५-३३००-७०-५००० की कैलकुलेशन प्राप्त हो रहे है उन्हें ९ वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर २७५०-७०-३८००-७५-५००० का वर्णित कैलकुलेशन दिया जायेगा वरन्तु इससे वापस ज्यों ही उनके अर्थात् १३ वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया जायेगा, उन्हें ३०५०-७५-३९५०-८०-५५९३ की कैलकुलेशन में परिवर्तित कर दिया जाये तथा १८ वर्ष के सेवाकाल पर ३५००-९०-५३०० तथा २७ वर्ष के सेवाकाल पर ५०००-१५०-८००० का वर्णित कैलकुलेशन दिया जाये।


वित्तीय सहायकार

संक्रमांक-रा.प.नि.३/१३३/लेखा/निगम/१६५/०१/३२६२

दिनांक:-/५-३-२००१

वित्तियंत्रिका:- निम्न की सूचनाएं एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु:-

- १- कार्यकारी निदेशक} राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर
- २- महा प्रबंधक} /संयुक्त महा प्रबंधक} राजस्थान परि० निगम, जयपुर
- ३- उप महा प्रबंधक} /कार्यकारी प्रबंधक} रा०प० निगम, जयपुर
- ४- सचिव-निगम/रजिस्ट्रार, रा०प० निगम जयपुर
- ५- मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखाधिकारी, के० कार्यशाळा, रा०प० नि०
- ६- मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक} रा०प० नि०
- ७- निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रा०प० नि० जयपुर
- ८- व० निजी सहायक - वित्तीय सहायकार, रा०प० नि० जयपुर
- ९- स० लेखाधिकारी} रा०प० नि० जयपुर
- १०- गाई आर्डर।


उप महा प्रबंधक/वित्तियंत्रिका

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,
JAIPUR.

6628

83

30.1.

(Finance (Rules) Department)

No.F.4(13)/Accts/Rules/72-A/2000/ 7646

Dated 11.8.2000

OFFICE-ORDER

Subject: Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Sub-ordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades consequent upon revision of pay scales of Corporation employees from 1.9.1996.

:-

The first, second and third selection grades (according to related posts) of the posts as indicated at serial No.

9, 10 and 11 of the table exhibited at point No. 5 of this Office Order No. F.4/Accts/Rules/72-A/98/3620 dated 7.5.1998 and the relevant part of this office order No. F.4/Accts/Rules/13/72-A/98/4298 dated 29.5.1998 were * marked.

In compliance with the Board's resolution No. 29/2000 and SPE letter No. F.2(34)/SPE/90/11/4889 dated 12.7.99, the first, second and third selection grades of the posts * marked as mentioned above will be as follows :-

Name of Posts	Pay Scale	Selection Scale		
		I	II	III
Stenographer, Jr. Accountant, Legal Asstt. Traffic Inspector, Jr. Engineer (Gr. B), and Labour Welfare Inspector	5000-	2500-	6500-	8000-
	8000	9000	10500	13500
Overseer/Jr. Eng. (Civil)	5000-	6500-	8000-	-
	8000	10500	13500	-
Jr. Eng. (Gr. A)	6500-	8000-	-	-
	10500	13500	-	-

This order shall come into force with effect from 1.9.1996. No arrear shall accrue to Corporation Employee who have been granted selection grades under this order between 1.9.1996 to 31.12.1996 (both days are inclusive) for the period upto 31.12.1996.

The terms and conditions for grant of selection scales as stipulated in this Office Order No. F.4/Accts/Rules/72-A/98/3620 dated 7.5.1998 and order No. F./Accts/Rules/13/72-A/98/4298 dated 29.5.1998 would apply.

(V.L. SHARMA)
 FINANCIAL ADVISOR.

Contd.2.

(24)

69/31

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,
JAIPUR. 5290

No. F.4(13)/Accts./Rules/72-A/2001/ 5290

Dated 10-5-2001

C I R C U L A R

Subj:- Grant of selection grade to the surplus employees of other Public Enterprises, absorbed in RSRTC,

:::

Some doubts have been raised regarding the relevant date for computation of period of service of 9,18 and 27 years for grant of selection grade to the surplus employees of other Public Enterprises, absorbed in RSRTC.

After consultation with EPS and examination of the issue in depth, it is clarified that the provisions contained in proviso 3, under para 3 of this office order No. F.4/Accts./Rules/72-A/98/3620 dated 7,5,1998 shall be applicable to such employees as referred above and the cases of granting the selection grade shall be decided accordingly.

(V. SHARMA)
FINANCIAL ADVISOR.

No.F.4(13)/Accts./Rules/72-A/2001/3620

Dated 10-5-2001

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Executive Director (), RSRTC, HO, Jaipur.
2. General Manager()/Jt. General Manager, RSRTC, Jaipur.
3. Dy. General Manager ()/Executive Manager(), RSRTC, Jaipur.
4. Secretary to Corporation/Registrar, RSRTC, HO, Jaipur.
5. Chief Prod. Manager/Accounts Officer, RSRTC, _____.
6. Chief Manager/Manager(A/Cs)/(Adm.), RSRTC, _____.
7. Asstt. Accounts Officer (), RSRTC, Jaipur.
8. P.S. to Chairman & Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. Sr. P.A. to Financial Advisor, RSRTC, Jaipur.
10. Order/Guard file.

(B.L. KUMAWAT)
DY. GENERAL MANAGER.
(FINANCE).

10/5/2001

35
2032

राजस्थान विधान सभा, जयपुर

संख्या: 13/2001/सं.स. 10

दिनांक: 9-2-2001

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या: सं.स./कार्यालय/सं.स./97/142

दिनांक 15-2-97 एवं 59U दिनांक 18-10-97 के अन्तर्गत चयनित वेतनमान तय करने के सम्बन्ध में विधा-निर्देश प्रसारित किये हुए हैं, उसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी कार्यवाही के मत ताल चर्च के दौरान में अन्तर्गत/स्थान वेतन कृषि रोपण या अन्य विधा गया है तो ऐसे कार्यवाही को चयनित वेतनमान उतने ही वर्ष आगे विधा कर दिया जायेगा जिसकी आर्थिक वेतन कृषि रोपण रोपी हुई है।

इस सम्बन्ध में मुख्य प्रबन्धक एवं अन्य अधिकारियों द्वारा यह कार्यालय को सूचित किया गया है कि चयनित वेतनमान के दिनांक से आगे अन्तर्गत विधा जायेगा अथवा अन्तर्गत विधा करने की दिनांक से 9

आ: इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित वेतनमान के दिनांक से चयनित वेतनमान कृषि रोपण रोपी गई है, उसमें ही चर्च करने विधा कर दिया जायेगा। किन्तु इन अधिकारियों के अन्तर्गत वर्ष में चयनित प्रबन्धक या मुख्य प्रबन्धक नहीं किया जायेगा न ही कोई वेतन अन्तर्गत या प्रबन्धक विधि विधा कर लेगा।

यह आदेश सीमान्त प्रबन्ध निर्देशक महोदय के अज्ञेयता के कारण जारी कर रहे हैं।


निदेशक, राजस्थान विधान सभा

संख्या: सं.स./कार्यालय/सं.स./97/142 दिनांक: 9-2-2001

कार्यालय के मुख्य एवं अन्तर्गत कार्यवाही के लिए:-

1. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान विधान सभा,

2. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान विधान सभा,

3. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान विधान सभा,

4. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान विधान सभा,

कार्यालय

यह आदेश प्रबन्धक द्वारा जारी

राजस्थान राज्य कायदा विभाग, जयपुर ।

विभाग : विभाग : विभाग, गुणवत्ता

क्रमांक :- सं. 4/13/लेखा/वि.सं/72-ए/2002/ए 468

दिनांक :- 17-1-2002

परिपत्र

निगम की कुछ इकाईयों द्वारा मार्गदर्शन पाया गया है कि अनिष्ट तिथि पर के कर्मचारियों को देय 9, 18, 27 वर्षीय वयनित वेतनमान हेतु सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जावे अथवा दृढ़ता/दंडना परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से की जावे ?

संदेह के निराकरण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि वयनित वेतनमानों का लाभ तर्जुम करके हेतु इस पर के भागी नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत 9, 18, 27^{वर्षों} की सेवा वर्तमान तर्जुम/सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि से गणनीय है । इस प्रकार सेवा शर्तों के अन्तर्गत दृढ़ता /दंडना परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होने की स्थिति में सेवा की गणना ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से की जावेगी ।

॥ श्री. एल. शर्मा ॥

वित्तीय महासचिव

दिनांक :- 17-1-2002

क्रमांक :- सं. 4/13/लेखा/वि.सं/72-ए/2002/ 468

प्रतिक्रिया निम्न को सूचार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. कार्यकारी निदेशक ॥ राज. परि. निगम, जयपुर ।
2. महा प्रबंधक ॥ सयुक्त महा प्रबंधक ॥ रा. व. निगम, जयपुर ।
3. उप महा प्रबंधक ॥ कार्यकारी प्रबंधक ॥ रा. व. निगम, जयपुर ।
4. सचिव - निगम / सचिव, राज. परि. निगम, जयपुर ।
5. मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखा अधिकारी, औद्योगिक कार्यशाळा, रा. व. निगम, -----
6. मुख्य प्रबंधक/ प्रबंधक ॥ राज. परि. निगम, -----
7. निजी सचिव - जयपुर / प्रबंध निदेशक, राज. परि. निगम, जयपुर ।
8. महासचिव सेवाधिकारी ॥ राज. परि. निगम, जयपुर ।
9. अधिष्ठा निजी महासचिव, वित्तीय महासचिव, राज. परि. निगम, जयपुर ।
10. सचिव सहायकी ।

(Handwritten Signature)

॥ श्री. एल. शर्मा ॥

कार्यालय-1(देव)

जिन कार्यालयों को 9, 18 व 27 एवं जी सेवा पूर्ण करने पर यथानि
वैतनमान का भान देने हेतु प्रसारित आदेश संख्या स्फा 13/सुडमा/कार्यालय/प्र.सु./
87/ 143 दिनांक 15-2-97, क्रमांक 590 दिनांक 18-10-97 एवं आदेश क्रमांक
143 दिनांक 24-9-2001 प्रसारित किये गए हैं। शेष भी विभिन्न स्थिति
कार्यालयों में इस आदेश का कार्य पूर्ण नहीं जाता है कि यदि किसी कार्यालयी
को 7 एवं 9 सेवाओं के साथ आरंभ एवं आरंभ किया हुआ हो तो उसे यथानि
वैतनमान का भान एवं दे देना होगा।

इसी क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन कार्यालयों को देव
वैतनमान विधि तक कोई दण्ड नहीं मिलता हो एवं उसका सेवाश्रेण्य भी
निर्धारण हो तब ही उन कार्यालयों को यथानि वैतनमान का भान निर्धारित देव विधि
दिया जाएगा।

निर्धारित विधि के पश्चात यदि कोई आरंभ एवं आरंभ दण्ड दिया गया
हो तो उसे यथानि वैतनमान को संकाया है, के समय विचारित नहीं किया जाएगा।
अतः यदि किसी कार्यालयी को देव दिनांक से पूर्व के भान वर्षों के सेवाभान में
कोई दण्ड नहीं मिलता हो तथा उन अधि का उदाहरण कार्य संतोषजनक रहा हो तो
इस दिनांक के पश्चात जारी आदेशों के आधार पर यथानि वैतनमान का
भान नहीं रोकना चाहे। यह आदेश सुचना प्रभाव से लागू होगी। पूर्व में निर्धारित
आदेशों पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा तथा न ही वैतन उत्थान के प्रकरणों
में उदाहरण संकाया।

प्रबन्ध निदेशक
दिनांक: 31-1-2002

- कार्यालय/कार्यालय/स्फा 10/प्र.सु./02/37
- प्रतिमित्री निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- 1- तमसा विधानाध्यक्ष - - - - - रायनि, जयपुर।
 - 2- तमसा महा प्रांशक - - - - - रायनि, जयपुर।
 - 3- तमसा उप महा प्रांशक - - - - - रायनि, जयपुर।
 - 4- तमसा मुख्य उत्पादन प्रांशक/उप प्रांशक/प्रांशक विधा/प्रशासन/रायनि - - - - -
 - 5- आदेश सहायकी।

कार्यालय-1(देव)

संस्थापक अध्यक्ष एवं सचिव, जयपुर ।

नेपाल विद्युत विभाग, मुम्बई

क्रमांक:- स्फ-4/13/विभा/नियम/72-ए/11/02/6771

28

72
35

दिनांक :- 31.7.2002

परिपत्र

प्रायः सब क्षेत्रों में आया है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जांच का प्रकरण विचारधीन होने की विधिति में होती जांच का इन्फ्रान्त कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका में नहीं किया जाता है । फलतः अज्ञानकारी के अभाव में आगार स्तरीय यथचित वेतनमान सभिति द्वारा ऐसे कर्मचारी को यथचित वेतनमान स्वीकृत किये जाने की संभावना मनी रहती है ।

अतः आगत इकाई प्रचारियों को निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध विचारधीन-विभागीय अथवा फौजदारी जांच का इन्फ्रान्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में किया जाये तथा यथचित वेतनमान सभिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले "विवरण-पत्र" में । इसे आवश्यक सभ तो दर्शाया जावे ।

समाप्त में कार्यरत प्रबन्धक (प्रशासन) का यह फलस्व होगा कि यथचित वेतनमान सभिति की बैठक के तमाम प्रस्तुत किये जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी के विवरण-पत्र पर इस आदेश का प्रमाण-पत्र अंकित किया जाये कि तन्मन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जांच विचारधीन नहीं है ।

यह परिपत्र इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्फ-2/72-ए/नेपाल/नियम/94/4029 दिनांक 23.6.1994 की निरन्तरता में जारी किया गया है ।

वित्तीय सहायक

क्रमांक:- स्फ-4/13/विभा/नियम/72-ए-11/02/6771 दिनांक:- 31.7.2002

पुनर्निर्दिष्ट:- निम्न को सुचारु एवं आत्मिक कार्यकारी हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, सारापपनिगम, जयपुर ।
2. कार्यकारी निदेशक / सारापपनिगम, जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक / सहायक महा प्रबन्धक / सारापपनिगम, जयपुर ।
4. उप महा प्रबन्धक / कार्यकारी प्रबन्धक / रा.प. निगम, जयपुर ।
5. सहायक निदेशक- निगम / सहायक, सारापपनिगम, जयपुर ।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/सेवाधिकारी / क्षेत्रीय कार्यशाळा, सारापपनिगम, जयपुर ।
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक / रा.प. निगम, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, वित्तीय सहायक, रा.प. निगम, जयपुर ।
9. सहायक सेवाधिकारी / सारापपनिगम, जयपुर ।
10. सहायक सेवाधिकारी ।

उप महा प्रबन्धक (वित्त)

27/5/36

क्रमांक:- स्प-4/लेखा/निष्प/72-ए-111/03/ 1272

दिनांक :- 5.2.2003

-: कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान प्रमुख विभाग के एक प्रकांक स्प-2/20/सी.पी.टी./98/ आर.स्त.आर.टी.सी./1972 दिनांक 24.7.2000 एवं निगम भण्डल के विधि संख्या 9/2003 दिनांक 13.1.2003 की अनुमानता में आत कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्प-4/लेखा/निष्प/93/2971 दिनांक 27.4.93 एवं आदेश क्रमांक स्प-4/लेखा/निष्प/72-ए/98/3620 दिनांक 7.5.98 में वर्णित विन्दु संख्या 4(i)(ii)(iii) को विनोदित तथा आदेश क्रमांक स्प-4/लेखा/निष्प/72-ए/98/3620 दिनांक 7.5.98 के विन्दु संख्या 5 में वर्णित "प्रथम, द्वितीय, या तृतीय पलौन्नति जैसी भी स्थिति हो, के लिये उनी सेवा/संघर्ष में कोई पद न हो या कार्यकारी पलौन्नति के लिये आवश्यक योग्यता नहीं रखता हो तथा संवत्सरी पदों के सम्बन्ध में, उल्लिखित वेतनमान निम्नानुसार स्तरीय अनुसार होंगे" के स्थान पर 9,18,27 एवं ही सेवा, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय पलौन्नति वेतनमान नीचे दशापि अनुसार ही स्वीकृत लिये जायेंगे" अंकित किया जाता है।

यह कार्यालय आदेश दिनांक 25.1.92 से ही प्रभावी माना जायेगा।

(Signature)

प्रमुख निदेशक

क्रमांक:- स्प-4/लेखा/निष्प/72-ए-111/03/ 1272

दिनांक :- 5.2.2003

प्रतिलिपि निम्न-को सूचार्थ एवं आवश्यक-कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. निजी सचिव, अधीक्षक / प्रमुख निदेशक, शारापनिगम, जयपुर।
- 2. कार्यकारी निदेशक § शारापनिगम, जयपुर।
- 3. महा प्रमुख § सहाय प्रमुख § शारापनि, जयपुर।
- 4. उप महा प्रमुख § कार्यकारी प्रमुख § शारापनि, जयपुर।
- 5. निम्न सचिव-परीषद, शारापनिगम, जयपुर।
- 6. मुख्य उत्पन्न प्रमुख/लेखाधिकारी, फोर्गार्याला, शारापनिगम, _____
- 7. प्रथम प्रमुख/प्रमुख § शारापनिगम, _____
- 8. उल्लिखित निजी सहायक, वित्तीय सहायक, शारापनिगम, जयपुर।
- 9. सहायक लेखाधिकारी § शारापनिगम, जयपुर।
- 10. उचित पत्रावली।

(Signature)
वित्तीय सहायक

राजस्थान राज्य धर्म प्रतिष्ठान निगम, जयपुर ।

वेतन नियम, 1994, मुद्रांक

क्रमांक - एम-4/13/वेतन/निगम/अजमेर/सामान्य/03/ 4876

दिनांक:-
11.6.03

परिचय

निगम की विभिन्न इकाइयों द्वारा मार्गदर्शित जाड़ा गया है कि से. नॉन आर्ग. टी. आर्ग. आर्टिजल ग्रेड-तृतीय स्तर के द्वारा 25.01.92 अथवा इसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन प्रवृत्ति श्रेणी में समान लेवल नहीं होने पर वेतन विवरण देते किया जाये।

आ.का.प.नियम के परिपत्र क्रमांक : एम-2/वेतन/निगम/94/677, दिनांक . 10.10.1994 एवं क्रमांक एम-4/13/वेतन/निगम/164/01/3262 दिनांक 14.03.2001 के अनुसार दिनांक 25.01.92 अथवा इसके बाद 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन प्रवृत्ति श्रेणी में वेतन निर्धारण कर फिक्सी भी प्रकार का वेतन प्राप्त न होने से वेतन निर्धारण किया जाता आदेशित है।

अतः-सन्देह निवारण हेतु स्वयं आ से निर्देशित किया जाता है कि से. नॉन आर्ग. टी. आर्ग. आर्टिजल ग्रेड- तृतीय स्तरों में 25.01.92 अथवा इसके पश्चात 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की है उन्हें प्रथमतः 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण के पश्चात 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर उच्च श्रेणी परिपत्र में अंकित वेतन प्रवृत्ति श्रेणी में वेतन निर्धारण समान स्तर पर किया जाये और जहाँ समान लेवल नहीं हो वहाँ वेतन छीक नीचे से स्टेज पर नियत किया जाये और अन्तर की राशि को व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत कर आसामी वेतन सुविधा में समाभोजन किया जाये। तत्पश्चात कर्मचारी की 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नानुसार द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाये।

अतः निर्देश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : ए. 16/10/परिपत्र/2002 दिनांक 29.05.2003 के अन्तर्गत में जारी किये गये है। इन निर्देशों के जारी होने के पूर्व किसी से. नॉन आर्ग. टी. आर्ग. आर्टिजल ग्रेड-तृतीय या वेतन निर्धारण समान स्तर के अभाव में यदि अगली स्टेज पर किया गया हो तो से. सुविधा वेतन निर्धारण को अक्षिप्य उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाये।


वित्तीय महासकार

क्रमांक:- एम-4/13/वेतन/निगम/अजमेर/सामान्य/03/ 4876 दिनांक:-
11.6.03

- 1. निम्नी श्रेणी - प्रथम एवं प्रथम निदेश, सारापनिगम, मुद्रांक जयपुर ।
- 2. कार्यकारी निदेशिका :- सारापनिगम, जयपुर ।
- 3. मध्य प्रवृत्ति - उपमहा प्रवृत्ति :- कार्यकारी प्रवृत्ति :- सारापनिगम, मुद्रांक, जयपुर ।
- 4. वेतन - वेतन निर्देश, सारापनिगम, जयपुर ।
- 5. वेतन निर्धारण - वेतन निर्देश, सारापनिगम, वे.क.सं. _____
- 6. वेतन प्रवृत्ति - वेतन निर्देश, सारापनिगम, _____
- 7. वेतन निर्धारण - वेतन निर्देश, सारापनिगम, जयपुर ।
- 8. वेतन निर्धारण - वेतन निर्देश, सारापनिगम, जयपुर ।


वित्तीय महासकार

(41) 38/26

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
लेखा/निर्देश/विभाग, मुख्यालय

प्रमांक: स्प-4/13/लेखा/निगम/72ए/2003/1195

दिनांक: 9.12.2003

परिपत्र

कार्गिल विमान के आदेश प्रमांक: स्प/सी-16/मु./कार्गिल/अपील/जी/च/ 03/377 दिनांक 27.6.2003 में वर्णित दिशा-निर्देश संख्या 1 के अनुसार कर्मचारियों द्वारा 7-16-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान का लाभ उतने दिवस आगे खिस्तका दर दिया जाना आदेशित है, जिसने दिवस कर्मधारी अनुपस्थित रहा है।

पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया गया। रक्षक अधिकारी द्वारा शैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने की स्थिति में शैतनिक अवकाश को अतीति की दृष्टि से ही भांति केवल चयनित वेतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा अतीति की गणना में शामिल किया जावे व तदनुसार चयनित वेतनमान के मामले तय किये जावे।

उक्त परिपत्र श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक म्होदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(Signature)
वित्तीय महाहकार

प्रमांक: स्प-4/13/लेखा/निगम/72ए/2003/1195

दिनांक: 9.12.2003

प्रतीतिपिप निम्नीतखित को रूपनार्थ एवं अंगिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सीकव-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक §, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।
3. महा प्रबंधक §, रा.रा.प.प.नि., _____।
4. उक्त महा प्रबंधक §/कार्यकारी प्रबंधक §, रा.प.नि., जयपुर।
5. अध्यक्ष-निगम/पंजीयक, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर।
6. मुख्य प्रबंधक, रा.रा.प.प.निगम, _____।
7. लेखाधिकारी §/लेखा-लेखाधिकारी §, रा.प.नि., जयपुर।
8. संबंधित पत्राकली।

(Signature)
वित्तीय महाहकार

42

राजस्थान राज्य पत्र परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक:-एफ-१(3)लेखा/नियम/72-ए-11/04/ 316

दिनांक ५.1.2004

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश सं. एफ-2(72-ए)लेखा/नियम/77/4800 दिनांक 9-5-77 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी सेवापुष्क कर्मचारी के सेवा पुष्क काल की अधि की निरन्तर सेवा मानते हुए पूर्ण वेतन भत्तों सहित पुनः निगम सेवा में लेने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उक्त सेवा पुष्क काल की अधि की स्थिति वेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अधि की गणना में सम्मिलित किया जावेगा।

इस दिवस में कतिपय इकाईयों द्वारा प्रकट की गयी शिकायतों के समाधान हेतु उक्त वर्णित आदेश के क्रम में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि जिन मामलों में न्यायालय/अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी सेवापुष्क कर्मचारी के सेवा पुष्क काल की अधि की निरन्तर सेवा मानते हुए पूर्ण वेतन भत्तों सहित पुनः निगम सेवा में लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं परन्तु समझौते के अन्तर्गत कर्मचारी अपने स्वयं की इच्छा से वेतन छोड़ देते हैं तो उन मामलों में भी उक्त सेवा पुष्क काल की अधि की स्थिति वेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अधि की गणना में सम्मिलित किया जावेगा।

परन्तु जिन मामलों में न्यायालय/अपीलीय अधिकारी द्वारा पूरे वेतन से कम अर्थात् 90 % 80 % 50 %, 50 % या अन्य कोई भी प्रतिशत पिछड़ा रकबा वेतन दिया जा गया है उन मामलों में तन्वीन्धत सेवापुष्क अधि की 9, 18, 27 वर्षीय स्थिति वेतनमान स्वीकृति हेतु सेवा अधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। इस में निर्णित कोई भी प्रकरण पुनः नहीं छोड़ा जावेगा।


उक्त दिशा निर्देश उपर्युक्त एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं।


वित्तीय सहायक

क्रमांक:-एफ-१(3)लेखा/नियम/72-ए-11/04/ 316 दिनांक: ५.1.2004

प्रतिभाषित निम्न की सुझाव्य एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी लेखा-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान निगम, जयपुर
 - 2- कार्यकारी निदेशक { राजस्थान निगम, मु0 जयपुर
 - 3- महा प्रबन्धक { राजस्थान निगम, जयपुर
 - 4- उपमहा प्रबन्धक { कार्यकारी प्रबन्धक }
- राजस्थान परिवहन निगम, -----
- 5- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/सेवाधिकारी, के.ए. जयपुर/अमेर/जोधपुर
 - 6- लेखा निगम/रजिस्ट्रार, राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
 - 7- मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक { राजस्थान निगम, -----
 - 8- लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, राजस्थान निगम, -----
 - 9- परिपत्र निजी सहायक, वित्तीय सहायक, राजीव, मु0 जयपुर
 - 10- रहित प्रकाशनी।


उपमहा प्रबन्धक/सहायक/नियम

43
 27/5/04

क्रमांक: मुख्य/कार्मिक/प्र.सु./2004/ 12 113

दिनांक: 21.5.04

कार्यालय-आदेश

वर्तमान में निगम प्रशासन द्वारा कार्मिकों को जारी आरोप पत्रों का निस्तारण आर्थिक दण्डों के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए कार्मिकों को सम्बन्धित वेतनमान स्वीकृत करने को सम्बन्ध में उन्हें दिये गये आरोप पत्रों में अन्य दण्डों की तरह आर्थिक दण्ड भी प्रभावित किये जायेंगे, के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है। पूर्व में इस कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक:मु./कार्मिक/प्र.सु./2004-113/97/142 दिनांक 15.2.97 के विन्दु संख्या 3 में कर्मचारी से हानि को दसूली पर दिये गये दण्ड को व्ययित वेतनमान के लाभ से घटित नहीं करने के निर्देश थे।

निगम मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में केंद्र गरा निर्णय संख्या 23/2003 एवं परिपत्रन किनाग राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त अनुमोदन पत्र क्रमांक: 4-14/ परि/04/ दिनांक 27.4.2004 को कम में आर्थिक दण्डों द्वारा कर्मचारियों को निस्तारित किये गये प्रत्येक आरोप पत्र के प्रकरणों में व्ययित वेतनमान का लाभ निम्नांकित रक्षित किया सामें के आदेश प्रसारित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	आर्थिक दण्ड से दण्डित की जाने वाली राशि	व्ययित वेतनमान राशि जाने की अवधि
1.	5000 रूपये तक	एक वर्ष के लिए
2.	25000 रूपये तक	दो वर्ष के लिए
3.	25000 रूपये से अधिक	तीन वर्ष के लिए

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी एवं कार्यशाला कर्मचारी रखाई आदेश, 1965 के नियम 36(4) के अंतर्गत यदि आर्थिक दण्ड कुल वेतन के 2 प्रतिशत से कम है तो उस आर्थिक दण्ड का प्रभाव व्ययित वेतनमान स्वीकृति पर नहीं पड़ेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।


 प्रमुख निदेशक

क्रमांक: मुख्य/कार्मिक/प्र.सु./2004/ 12 113

दिनांक: 21.5.04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/ प्रमुख निदेशक, राप्ति, जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष () राप्ति, जयपुर।
3. समस्त महा प्रबंधक () राप्ति,
4. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबंधक/मुख्य प्रबंधक, राप्ति,
6. लेखाधिकारी/प्रबंधक(लेखा/प्रशासन), राप्ति,
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

44
47

राजस्थान राज्य पथ परिवहन विभाग, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-ए III/04/7752 दिनांक : 07.08.04

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आता है कि इकाई स्तरीय चयनित वेतनमान समिति द्वारा कर्मचारियों को देय चयनित वेतनमान मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : मुख्या./कार्यक/एफ-70/प्र.सु./02/37 दिनांक 11.01.02 में वर्णित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखे बिना निर्धारित वास्तविक देय दिनांक के रजाम समिति की बैठक/अन्तिम दण्डादेश/अद्वैतनिक अवकाश स्वीकृति की दिनांक से स्वीकृत किया जा रहा है।

इकाई स्तर पर सक्तानुसार दिशा-निर्देशों के विपरीत सम्पादित की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध कई कर्मचारियों द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय तथा प्रबन्ध निदेशक महोदय को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित आदेश के अन्तर्गत वास्तविक देय दिनांक से चयनित वेतनमान अनुमत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण के क्रम में मामलों का सूक्ष्मता से परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संबंधित समस्त मामलों में उपरोक्त वर्णित आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

अतः समस्त इकाई प्रचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आदेश क्रमांक-37 दिनांक 11.01.02 के दिशा-निर्देशों के विपरीत अनुमत किये गये चयनित वेतनमान मामलों का इकाई स्तर पर पुनः परीक्षण किया जाकर आदेश में वर्णित दिशा-निर्देशानुसार निस्तारण करे तथा भविष्य में उक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना करे। अवहेलना की स्थिति में इकाई प्रभारी एवं इकाई स्तरीय चयनित वेतनमान समिति के अन्य समस्त सदस्यों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिस हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

24

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-III/04/7752 दिनांक: 07.08.04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, शशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक() शशापनि, मु.0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक() शशापनि,.....
4. उप महा प्रबन्धक()/कार्यकारी प्रबन्धक() शशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव विभाग / मजौयक, शशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, शशापनि, कं0कार्यशाला,.....
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक() शशापनि,.....
8. सहायक लेखाधिकारी() शशापनि,.....
9. व0निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार, शशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
10. अध्यक्ष/महा सचिव,..... श्रमिक संगठन,.....
11. रक्षित पत्रावली।

La 8

उप महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

45

~~41~~
42

राजस्थान राज्य पशु परिषद् निगम, जयपुर
बिडा (बजट) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक: एफ4 / (06) / वित्त / बजट / 04 / 8538

दिनांक : 28.08.04

पुरिपत्र

निगम कर्मचारियों को दैन्य चयनित वेतनमान लागू हेतु समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का नकद लाभ सभिति की बैठक दिनांक से ही अनुमत किया जावेगा। चयनित वेतनमान की धारस्तविक दैन्य दिनांक एवं सभिति की बैठक दिनांक के मध्य की एरियर राशि के समस्त पेण्डिंग भुगतान भी निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस संवध में मुख्यालय से अग्रिम निर्देश जारी होने पर ही किये जावेंगे। सेवानिवृत्ति प्रकरणों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे।
उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

Mrs
प्रबन्ध निदेशक 28/08/04

क्रमांक: एफ4 / (06) / वित्त / बजट / 04 / 8538

दिनांक : 28.08.04

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक() , रारापपनि, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक() , रारापपनि,.....
4. उप महा प्रबन्धक() / कार्यकारी प्रबन्धक() , रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम / पंजीयक, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, रारापपनि, क0 कार्यशाला,.....
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक() , रारापपनि,.....
8. सहायक लेखाधिकारी() , रारापपनि,.....
9. य0 निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
10. अध्यक्ष/महा सचिव,..... श्रमिक संगठन.....
11. रक्षित पत्रावली।

M. S. Meena
महा प्रबन्धक (वित्त)

राजस्थान परिष्कार विभाग, मुहम्मदाबाद, जयपुर, राजस्थान ।

क्रमांक:- मु०/रा०/प्रमु०/०४/६६८

दिनांक:- 16. 9. 04

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु०/रा०/प्रमु०/०४/ 335 दिनांक 21. 5. 04 द्वारा अधिसूचनाओं को चयनित क्षेत्रानुसार में प्रभावित करने कायत आदेश प्रसारित किये गये थे । इस आदेश को तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया था ।

भिन्न-भिन्न पत्रों द्वारा जारी उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाने पर इस सम्बन्ध में त्रास-तमस पर मार्ग दर्शन पाहने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किये गये हैं । उक्त सम्बन्ध में एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आदेश क्रमांक मु०/रा०/प्रमु०/०४/ 335 दिनांक 21. 5. 04 जारी होने के पश्चात आयोजित की जाने वाली चयनित क्षेत्रानुसार स्वीकृत करने हेतु गठित समिती द्वारा कर्मचारियों को चयनित क्षेत्रानुसार को देय दिनांक से पिछले तात् वर्ष की अवधि में रोक दिये गये अधिसूचनाओं को इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 335 दिनांक 21. 5. 04 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार चयनित क्षेत्रानुसार रोकें जाने की अवधि हेतु प्रभावित किया जावेगा ।

[Signature]
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:- मु०/रा०/प्रमु०/०४/ 668

दिनांक:- 16. 9. 04

प्रतिगोपि:- निम्न को सूचना एवं आश्चर्य कारणादी हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, अध्याय/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रायनि, मुहम्मदाबाद, जयपुर ।
- 2- क्साता विभागाध्यक्ष } { रायनि, जयपुर ।
- 3- क्साता महाप्रबन्ध } { रायनि, मु. , जयपुर ।
- 4- सचिव, निम्न, रायनि, मुहम्मदाबाद, जयपुर ।
- 5- क्साता मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक *[Signature]* रायनि
- 6- मैन्स प्रबन्धक/प्रबन्धक/प्रशासन/रायनि-----
- 7- आदेश/रहित क्साता ।

कार्यालय निदेशक/प्रशासन

16/9/04

47

43-88

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-ए III/05/481

दिनांक 20.01.05

परिपत्र

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक: मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/ 2003/713 दिनांक 18.10.2003 के अनुसार कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में समिति की बैठकें वर्ष में चार बार अर्थात् जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर माह में आयोजित किया जाना आदेशित है।

कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ त्वरित गति से दिये जाने के संबंध में मुख्यालय में दिनांक 21.12.2004 को आयोजित मुख्य प्रबन्धकों की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि इकाई स्तर पर कर्मचारियों को 9.18.27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान की बैठक वित्तीय आधार के स्थान पर वार्षिक आधार पर आयोजित की जावे तथा वार्षिक रूप से आयोजित की गई बैठक में समिति के समस्त प्रस्तुत समस्त प्रकरणों तथा चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये प्रकरणों का विवरण पत्र आवश्यक रूप से मुख्यालय को प्रेषित किया जावे।

उक्त दिशा-निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू माने जावेंगे।

(Handwritten signature)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक 20.01.05

क्रमांक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-III/05/481

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सहायक नि, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक() , सहायक नि, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक() , सहायक नि,
4. उप महा प्रबन्धक() / कार्यकारी प्रबन्धक() , सहायक नि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सचिव निगम, सहायक नि, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, सहायक नि, कं0 कार्यशाला,
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक() , सहायक नि,
8. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी() , सहायक नि,
9. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, सहायक नि, मुख्यालय, जयपुर।
10. महा सचिव,, अभिक सगरन,
11. रक्षित पत्रावली।

(Handwritten signature)

संसुवन्त महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 के उक्त दिनांक 01.09.1988 से प्रभावी चयन ग्रेड के अनुसार चतुर्थ श्रेणी वर्ग (समराली श्रेणी द्वारा अर्दली गार्डनर स्वीपर) के कर्मचारियों को उक्त चयन-ग्रेड वेतन श्रेणियाँ 800-1250 में स्वीकृति योग्य है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के अनुरूप निगम कर्मचारियों को भी उनके द्वारा 9.18.27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु आदेश क्रमांक एफ (72-ए)/लेखा/नियम/93/2971 दिनांक 27.04.93 जारी किया गया। इस आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी वर्ग के उक्त वर्गित कर्मचारियों द्वारा दिनांक 25.01.92 अथवा इसके पश्चात् 9.18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृति योग्य चयनित वेतनमान निम्नानुसार है:-

पद की वेतन श्रेणियाँ	चयनित वेतनमान की वेतन श्रेणियाँ		
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
750-940	775-1025	800-1250	825-1350

उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 25.01.92 से पूर्व 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इस वर्ग के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 की वेतन श्रेणियाँ 800-1250 में चयन-ग्रेड स्वीकृत किये जाने के पश्चात् दिनांक 25.01.92 को वेतन श्रेणियाँ 775-1025 में प्रथम चयनित वेतनमान (9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय) स्वीकृत किया जाता आदेशित है। वेतन श्रेणियाँ 775-1025 वेतन श्रेणियाँ 800-1250 से निम्नतर (नीचे की) होने के कारण दिनांक 25.01.92 के पूर्व से वेतन श्रेणियाँ 800-1250 में चयन-ग्रेड प्राप्त उक्त वर्गित पदों के कर्मचारियों को आदेश क्रमांक 2971 दिनांक 27.04.93 के अनुसरण में दिनांक 25.01.92 अथवा इसके पश्चात् 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से सीधे ही द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण व्याप्त वेतन विसंगति के निराकरण के क्रम में राजकीय उपक्रम ब्यूरो से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ (20)पीपीई/98/आर.एस.आर.टी.सी/1737 दिनांक 03.09.2001 में वर्गित दिशा-निर्देशानुसार उक्त वर्गित पदों से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा 9.18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान निगम के आदेश क्रमांक 2971 दिनांक 27.04.93 में वर्गित वेतन श्रेणियाँ में स्वीकृत किया जाता है। इस हेतु 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की गई चयन ग्रेड को ध्यान में नहीं रखा जाना है अर्थात् दिनांक 25.01.92 से पूर्व 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की गई चयन-ग्रेड के मामलों में कर्मचारियों द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित वेतनमान, 1989 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त वेतन श्रेणियाँ 750-940 में किये गये वेतन स्थिरीकरण के आधार पर इसी वेतन श्रेणियाँ में आने की वार्षिक वेतन वृद्धियाँ जारी की जाये तथा दिनांक 25.01.92 को इस वर्गित पदों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान (जैसी भी स्थिति हो) हेतु आदेश क्रमांक 2971 दिनांक 27.04.93 में वर्गित वेतन श्रेणियाँ में वेतन स्थिरीकरण किया जाये ताकि व्याप्त वेतन विसंगति समाप्त की जा सके।

उक्तानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी द्वारा पूर्व में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्वीकृत की गई चयन ग्रेड के कारण प्राप्त अधिक वेतन की शक्यता योग्य राशि का समावोजन कर्मचारी की पानने वाली वार्षिक राशि में से किया जाकर ही शेष राशि का भुगतान किया जावे।

(Signature)
 सिल्लीय सलाहकार

- कनाक - एक 4 / (13) वित्त / नियम / 72-ए II / 05 / 2079 दिनांक
- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक अध्यक्ष कार्यवाही हेतु
1. निजी सचिव- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, सरापनि, जयपुर।
 2. कार्यकारी निदेशक () सरापनि, जयपुर।
 3. महा प्रबन्धक () सरापनि, जयपुर।
 4. उप महा प्रबन्धक () / कार्यकारी प्रबन्धक () सरापनि, जयपुर।
 5. निगम सचिव, सरापनि, जयपुर।
 6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, 'केन्द्रीय कार्यशाला', सरापनि, जयपुर।
 7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक () सरापनि, जयपुर।
 8. लेखाधिकारी () / सहाय लेखाधिकारी () सरापनि, जयपुर।
 9. निजी सचिव-द्वितीय सलाहकार, सरापनि, जयपुर।
 10. अध्यक्ष / महा सचिव, श्रमिक संगठन, जयपुर।
 11. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
 शशुभ महा प्रबन्धक (वित्त)

50

46 70

रा.स.प.प. निगम राज्य पथ परिवहन विभाग, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:-एफ-4(13), वित्त/नियम/72-ए III/05/2301

दिनांक:19.3.05

परिपत्र

विगत संचालक सप्टडल के निर्णय संख्या 8/2005 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या एस-4 (13) / लेखा / नियम / 72-ए / 2002/468 दिनांक 17.1.2002 को वापिस (withdraw) लेते हुये समस्त ईकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि 9-18-27 वर्षीय चयनित वेतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक से ही की जावे।

M. M. Meena
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-4(13)/वित्त/नियम/72-ए III/05/2301

दिनांक 19.3.05

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.स.प.प.निगम, जयपुर
2. कार्यकारी निदेशक() रा.स.प.प.निगम, जयपुर
3. महा प्रबन्धक() रा.स.प.प.निगम, जयपुर
4. उप महा प्रबन्धक()/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.स.प.प. निगम, जयपुर
5. सचिव निगम, रा.स.प.प.निगम, जयपुर
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, रा.स.प.प.निगम, के.का.-----
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक() रा.स.प.प.निगम,-----
8. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी() रा.स.प.प.निगम, जयपुर
9. निजी सचिव वित्तीय सलाहकार, रा.स.प.प.निगम, जयपुर
10. अध्यक्ष/महा सचिव-----श्रमिक संगठन
11. शक्ति पत्रावली

L. Jay
संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त/नियम)

क्रमांक:एफ4/वित्त/नियम/72ए।।।/07/523

दिनांक:22.01.2007

परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ4 (13)/वित्त/नियम/72 ए/06/481 दिनांक 20.1.05 जारी कर समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि कर्मचारियों को 9-10-27 अर्थ की सेवा पूर्ण करने पर देय घयनित वेतनमान की बैठक मासिक आधार पर आवश्यक रूप से आयोजित की जाये। अधोहस्ताक्षर कर्ता की जानकारी में आया है कि कई इकाईयों में उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जा रही है, फलस्वरूप कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त होने के साथ लम्बे समय का घयनित वेतनमान ऐरियर भी लम्बित हो रहा है।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित निर्देशों के अनुसरण में घयनित वेतनमान की बैठक अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाये तथा भविष्य में आयोजित घयनित वेतनमान बैठकों में स्वीकृत घयनित वेतनमान प्रकरणों में देय दिनांक से तत्काल भुगतान किया जाये।

पूरे में निर्णित प्रकरणों के घयनित वेतनमान ऐरियर का निर्णय निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर भविष्य में लिया जावेगा।


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:एफ4/वित्त/नियम/72ए।।।/07/523

दिनांक:22.01.2007

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रासायनिक निगम मुख्यालय जयपुर
2. कार्यकारी निदेशक () रासायनिक निगम, मुख्यालय जयपुर
3. महा प्रबन्धक () रासायनिक निगम, मुख्यालय जयपुर
4. उप महा प्रबन्धक ()/कार्यकारी प्रबन्धक (), रासायनिक निगम, मु0जयपुर
5. सचिव-निगम, रासायनिक निगम मुख्यालय जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0का0शाला, रासायनिक निगम—
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक () रासायनिक निगम, आगाार
8. लेखाधिकारी ()/सहा0लेखाधिकारी (), रासायनिक निगम, जयपुर
9. निजी सचिव वित्तीय सलाहकार, रासायनिक निगम, मुख्यालय जयपुर
10. रक्षित पत्रादली।


संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त/नियम)

52

50

राजस्थान राज्य पत्र परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक-मु0/का0/गो0प्र0/07/92

दिनांक-12-02-07

कार्यालय-आदेश

File-198
14.2.07

यह देखने में आया है कि ईकाई/आगार स्तर पर कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते समय सम्बन्धित समिति द्वारा पिछले सात वर्ष का एसीआर विवरण पत्र का अयलोकन किये बिना ही चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया जाता है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः भविष्य के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ जिस दिनांक को देय होता है उस समय उनका पिछले सात वर्ष का एसीआर का विवरण -पत्र मुख्यालय, जयपुर से दो माह पूर्व ही प्राप्त कर लिया जाये एवं समिति द्वारा एसीआर के विवरण पत्र का अयलोकन करने के पश्चात् ही 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जावे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सात वर्ष के एसीआर विवरण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

19/2
19/2

~~प्रबन्ध निदेशक~~

क्रमांक-मु0/का0/गो0प्र0/07/92

दिनांक-12-2-07

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय, शरापनिगम, मुख्यालय, जयपुर
2. सनस्त विभागाध्यक्ष- CA - शरापनिगम, मुख्यालय, जयपुर
3. सनस्त महा प्रबन्धक(संघा0)- CA - जोन, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
4. सनस्त उप महा प्रबन्धक (CA) शरापनिगम, मुख्यालय, जयपुर
5. कार्यकारी प्रबन्धक (CA) शरापनिगम, मुख्यालय, जयपुर
6. सनस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, शरापनिगम, के.कार्य- CA
7. सनस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/प्रशासन/संचालन/यातायात) शरापनिगम- CA आगार
8. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

(57) 57

क्रमांक एफ(113) मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2007/128 दिनांक: 15-3-07

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2004/335 दिनांक 21.5.2004 एवं आदेश क्रमांक 668 दिनांक 16.9.2004 के द्वारा आर्थिक वर्षों को देय चयनित वेतनमान में प्रभावी किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त आदेशों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर्मचारियों को 9-18-27 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 21.5.2004 से पूर्व देय होता है, उन प्रकरणों में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। दिनांक 21.5.2004 से पूर्व के 9-18-27 वर्ष के चयनित वेतनमान प्रकरणों का निस्तारण आदेश क्रमांक मु/का/प्र.सु/एफ-113/97/142 दिनांक 15.2.1997 एवं आदेश क्रमांक 890 दिनांक 18.10.1997 में वर्णित प्रावधानानुसार किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक 43

क्रमांक एफ(113) मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2007/128 दिनांक: 15-3-07
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रापनिनिगम, मुख्यालय, जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक (-----), रापनिनिगम, मु, जयपुर. 1110 (R)
4. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, रापनि, -----
5. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (मि.ल/याता/सचा./प्रशा.), रापनि, -----
6. आदेश/रहित पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

52
54

क्रमांक-मु0/का0/गो0प्र0/07/284

दिनांक-15-5-2007

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु0/का0/गो0प्र0/2007/181 दिनांक 28.3.2007 के द्वारा निगम में जिन कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरे जाते हैं उन कर्मचारियों को 9-10 व 27 वर्ष का चयनित वेतनमान देने हेतु वर्ष 1996-97 से कार्य एवं आचरण विवरण पत्र भरा जाना अनिवार्य किया गया था, के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन संवर्गों के लिये वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लागू नहीं होते हैं उन मामलों का निषटारा सन्तोषप्रद कार्य रिपोर्ट व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुये किया जावे।

1. कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जाँच प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
2. कर्मचारी को पिछले सात वर्षों में निरन्तर वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मिलती रही हो एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण पत्र दिया हुआ हो उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया जावे।

किश
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक-मु0/का0/गो0प्र0/07/284

दिनांक-15-5-2007

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष-रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक(संचा0)-जोन, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
4. समस्त उप महा प्रबन्धक () रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
5. कार्यकारी प्रबन्धक () रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
6. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, रारापपनिगम, के.ए.ए. (किश) मुख्यालय
7. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (पित्त/प्रशासन/संचालन/यातायात) रापनि-आगरा
8. आदेश पत्रायली।

15/5
उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

कार्यालय-आदेश

यह देखने में आया है कि निगम में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों से विभिन्न मदों यथा टायर कट, अंकेक्षण वसूली, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों की वसूली, अधिक डीजल खपत की वसूली, कम राजस्व की वसूली, निर्धारित लक्ष्य से कम आय देने पर वसूली, मार्ग निरस्तीकरण वसूली, दिना आरोप पत्र जारी किये की जा रही है।

उक्त प्रकरणों में एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिनमें वित्तीय हानि वसूली प्रशासनिक आदेश के द्वारा दिना आरोप पत्र जारी किये, अथवा दिना अनुशासनिक कार्यवाही किये, की गयी है। ऐसे प्रकरणों को अनुशासनिक कार्यवाही का हिस्सा [Part] नहीं माना जावेगा।

इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनसे दिना आरोप पत्र जारी किये हानि वसूली [Recovery of Lossess] की गई है, ऐसी हानि वसूली राशि को चयनित वेतनमान स्वीकृति में बाधक नहीं माना जावेगा।


पूर्व में निस्तारित किये गये प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।


प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष ----- रापनि, मुख्यालय, जयपुर
3. समस्त महाप्रबन्धक ----- रापनि, मुख्यालय, जयपुर
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक ----- रापनि, मुख्यालय, जयपुर
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
6. कार्यकारी प्रबन्धक () रापनि, मुख्यालय, जयपुर
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, / लेखाधिकारी रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर, अजमेर, जोधपुर
8. समस्त मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (प्रशासन/याता0/वित्त/संचालन) रापनि,
जयपुर/जयपुर/समानेर/वैशालीनगर/विद्याधरनगर/झोतरुनाईगरी/सीबीएस, जयपुर/अलवर/मत्स्यनगर/
बाराणसी/अजमेर/कोटा/जोधपुर/कोटपूतली/दिल्ली/टोक/बैदी/कोटा/बारा/भालावाड/
अजमेर/डी.डी.सि.पी.डी/भीमशंकरपुर/सीकर/धुन्पुर/खेडडी/धूल/दीकानेर/सरदारशहर/इन्दुमानगढ़/
वैशालीनगर/प्रसूमाड/अजमेर/अजयमेरु/सीबीएस, अजमेर/भ्यावर/नागौर/डीडवाना/भोलवाडा/
कोटा/जयपुर/जयपुर/बातवाडा/जोधपुर/जयपुर/जयपुर/सिराही/जालौर/फालना/पाटी/कलोदी/
जयपुर/अजमेर/अजमेर

9. आदेश पत्रावली।


कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय-आदेश

निगम में दिनांक 20.1.2006 के बाद नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज को क्या-क्या सुविधाएं देय होगी, इस बाबत मार्गदर्शन चाहने के सम्बन्ध विभिन्न यूनिटों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राप्त पत्रों के क्रम में एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 20.1.2006 व इसके बाद निगम में फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज को राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम परिवर्जन) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.3.06 के अनुसार एक क्लेण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। परिवीक्षाकाल पर नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी प्रकार का अर्जाजित अवकाश देय नहीं होगा तथा परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद इन्हें नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति दिये जाने पर 9,18, 27 वर्षीय घयनित वेतनमान का लाभ भी देय नहीं होगा।

प्रोबेशनर ट्रेनीज को नियमानुसार साप्ताहिक विश्राम भी देय होगा। यह आदेश इस कार्यालय से प्रसारित आदेश क्रमांक मु0/का0/प्रसु0/एफ 280/2007/132 दिनांक 17.3.07 की निरन्तरता में जारी किये जा रहे हैं।

(Signature)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव,अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,रापनि,मुख्यालय,जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष-----रापनि,मुख्यालय,जयपुर
3. समस्त महाप्रबन्धक-----रापनि,मुख्यालय,जयपुर
4. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक-----रापनि,मुख्यालय,जयपुर
5. सचिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर
6. सहायक लेखाधिकारी (मुगतान) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय,जयपुर
7. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,रापनि,केन्द्रीय कार्यशाला,जयपुर/अजमेर/जोधपुर
8. मुख्य प्रबन्धक रापनि, सुकिया/जयपुर/सागनेर/वैशालीनगर/विद्यानगर/श्रीलानाद्वारा/सोनीर/जयपुर/अलवर/नरस्यनगर/सिजारा/भरतपुर/सीहानड/धीलपुर/कोटपूतली/दिल्ली/टोक/लूट/कोटा/बारा/झालावाड/दुन्दीर/दीपा/हिरवाँल/श्रीमधोपुर/सीफार/शुम्भुपुर/छेतडी/भुल/बीकानेर/सरदारगढ़/हनुमानगढ़/श्रीगंगानगर/अनूपगढ़/अजमेर/अजयनेक/सीबीएस,अजमेर/ब्यावर/नागौर/दीपल/भीमवाडा/मिर्जागढ़/घरघपुर/दूंगरपुर/बासवाडा/जोधपुर/आबूरोड/सिरौही/जालौर/फालना/काली/कालोदी/बाडमेर/अहमदाबाद आगार 11
9. आदेश पत्रावली।

(Signature)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)